बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 पौष 1900 (श०)

(सं० पटना 30) पटना, मंगलवार, 16 जनवरी 1979

(गोपनीय)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

16 जनवरी 1979

जी० एस० आर० 3 —भारत-संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस संबंध में बनाए गए सभी पूर्व नियमों का अवक्रमण करते हुए, बिहार-राज्यपाल निम्न नियमावली बनाते हैं :—

भारत-संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अधीन कार्यपालिका-नियमावली।

1. यह नियमावली "बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979" कहलाएगी।

2. इस नियमावली में, यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो—

(क) "अनुच्छेद" से तात्पर्य है भारत-संविधान का अनुच्छेद।
(ख) "परिषद्" से तात्पर्य है अनुच्छेद 163 के अधीन गठित मंत्रिपरिषद् और इसमें परिषद् की समिति भी शामिल है।
(ग) "अनुसूची" से तात्पर्य है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची।

3. सामान्य-परिभाषा अधिनियम (जेनरल क्लॉजेज ऐक्ट), 1897—इस नियमावली के निर्वचनार्थ उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार केन्द्रीय अधिनियमों के निर्वाचनार्थ लागू होता है।

4. राज्यपाल भारतीय-संविधान के अनुच्छेद 164 के अधीन मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे।

भाग 1—कार्य का बंटवारा और निबटाव

5. सरकारी कार्य प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विभागों में संपादित किया जायगा। इसे वर्गकृत करके उन विभागों में वितरित कर दिया जायगा जैसा कि उक्त अनुसूची में दिया गया है।

6. (*i*) राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से हरेक मंत्री को एक या अनेक विभागों का प्रभार सौंप कर मंत्रियों के बीच सरकारी कार्य को बांट देंगे :

परन्तु इस नियम की किसी बात से एक विभाग का प्रभार एक से अधिक मंत्रियों को सौंपने में बाधा न होगी।

(*ii*) मंत्रियों के बीच कार्य का वर्तमान बंटवारा इस नियमावली के द्वितीय अनुसूची में दिखाया गया है।

7. (*i*) राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से राज्य मंत्री या उप-मंत्री को एक या अनेक विभाग सौंपेंगे।

(*ii*) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यमंत्री या उप-मंत्री, उप-नियम (*i*) के अधीन सौंपे गये विभाग के ऐसे कार्यों को निबटायेंगे, जो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उस विभाग के प्रभारी मंत्री विनिर्दिष्ट करें :

परन्तु इस नियम के अधीन कोई कार्य, उन शर्तों, प्रतिबन्धों या अपवादों के अधीन सौंपा जायगा, जो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के अनुमोदन से प्रभारी मंत्री विनिहित करें।

8. सचिवालय के हरएक विभाग या विभागों के समूह के लिये आवश्यकतानुसार एक प्रधान सचिव/सचिव रहेंगे जो उस विभाग के अधिकारिक प्रधान होंगे। साथ ही हरएक विभाग में राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित अन्य पदाधिकारी और सेवक भी रहेंगे।

9. परिषद् इस नियमावली के अनुसार राज्यपाल को दी गई सभी सलाहों और राज्यपाल के नाम से निर्गत सभी कार्यपालक आदेशों के लिये सामुहिक रूप से उत्तरदायी होगी, चाहे कोई खास मंत्री अपने संविभाग (पोर्टफोलियो) से संबंधित किसी विषय पर ऐसी सलाह दें या ऐसा आदेश प्राधिकृत करें, अथवा परिषद् की किसी बैठक में हुए विचार-विमर्श के परिणाम-स्वरूप या अन्यथा किसी भी तरह ऐसी सलाह दी जाए या ऐसा आदेश प्राधिकृत किया जाय।

10. नियम 15 के अनुसार मुख्यमंत्री के आदेश के अधीन रहते हुए, इस नियमावली की तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट सभी मामले भाग 2 में दिए गए नियमों के उपबन्धानुसार परिषद् के सामने लाये जायेंगे :

परन्तु मुख्यमंत्री के निदेशाधीन आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, जिस मामले में नियम 12 के अधीन वित्त विभाग का परामर्श अपेक्षित हो, उसपर यदि वित्त मंत्री को विचार करने का अवसर न मिला हो, तो परिषद् विचार-विमर्श न करेगी।

11. नियम 9 के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, किसी विभाग के प्रभारी मंत्री उस विभाग से संबंधित कार्यों के निबटाव के लिये प्रथमतः जिम्मेदार होंगे।

12. (1) वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किए बिना कोई भी विभाग (वित्त विभाग द्वारा किए गए किसी सामान्य या विशेष प्रत्यायोजन के अनुसारी आदेशों से भिन्न) कोई ऐसा आदेश प्राधिकृत न करेगा जो—

(क) या तो सीधे या अपने प्रतिप्रभाव से राज्य के वित्त पर प्रभाव डाले अथवा जिसमें, खास तौर से—

(i) भूमि-अनुदान अथवा राजस्व आत्यर्पण अथवा खनिज या वन संबंधी अधिकार या पन-बिजली के अधिकार, समनुदान, अनुदान, पट्टा या लाईसेंस अथवा ऐसे समनुदान के संबंध में कोई सुखाचार (ईजमेंट) या विशेषाधिकार अन्तर्ग्रस्त हो ;

टिप्पणी—यह खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम [माईन्स ऐण्ड मिनरल्स रेगुलेशन ऐण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट], 1957 (67, 1957) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उपबन्धानुसार खनिजों के पूर्वक्षण-लाइसेंस पर लागू नहीं होगा।

अथवा (ii) किसी भी तरह, कोई राजस्व-परित्याग अन्तर्ग्रस्त हो, अथवा

(ख) पदों की संख्या या कोटि ग्रेडिंग या संवर्ग (कैडर) से अथवा सेवा या पदों की उपलब्धियों या अन्य शर्तों से संबंधित हो।

(2) जिस प्रस्ताव पर इस नियम के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श अपेक्षित हो; किन्तु जिसपर वित्त विभाग सहमत न हुआ हो, ऐसे किसी प्रस्ताव पर तबतक आगे कार्रवाई न की जा सकेगी जबतक कि परिषद् इस आशय का निर्णय न कर ले।

(3) वित्त विभाग से भिन्न कोई विभाग कोई पुनर्विनियोग वित्त विभाग द्वारा किए गए सामान्य या विशेष प्रत्यायोजन के अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(4) वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन विभागों को जहांतक शक्ति सौंपी गई हो, वहां तक छोड़कर, प्रशासी विभाग का हर आदेश, जिसके द्वारा अंकेक्षण में प्रवर्तनीय मंजूरी सूचित की जाए, वित्त विभाग की मारफत अंकेक्षा प्राधिकारियों को संसूचित किया जाएगा।

(5) इस नियमावली में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि किसी विभाग को, जिसमें वित्त विभाग भी शामिल हैं, पुनर्विनियोग अधिनियम (एप्रोप्रिएशन ऐक्ट) में उल्लिखित एक अनुदान से दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोग करने का प्राधिकार प्राप्त है।

13. उपर्युक्त नियमों में किसी बात के होते हुए भी, विकास आयुक्त और उनके अधीनस्थ अन्य पदाधिकारियों को राज्य सरकार के संकल्प द्वारा यथानिर्देशित शक्ति और हैसियत दी जा सकेगी।

भाग 2— मंत्रिपरिषद् की प्रक्रिया

14। मुख्य सचिव अथवा मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त कोई अन्य पदाधिकारी, मंत्रिपरिषद् के सचिव होंगे।

15। तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट सभी मामले प्रभारी मंत्री द्वारा विचारित हो जाने के बाद परिषद्-सचिव की मारफत मुख्यमंत्री के समक्ष उपस्थापित किए जायेंगे; ताकि उन मामलों को नियम 16 के अधीन परिचारित करने या परिषद् की बैठक में विचारार्थ रखने के लिये मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त हो जाए।

16। (1) मुख्यमंत्री यह निर्देश दे सकेंगे कि तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट कोई मामला, परिषद् की किसी बैठक में विचार-विमर्श के लिये पेश होने के बदले, मंत्रियों के बीच उनकी राय के लिये परिचारित किया जाए। यदि मंत्रिगण एकमत हों और मुख्यमंत्री का विचार हो कि परिषद् की बैठक में उस पर विचार-विमर्श अनावश्यक है, तो ऐसा विचार-विमर्श किए बिना ही उस मामले का निर्णय कर लिया जायगा। यदि इस मामले पर मंत्रियों में मतैक्य न हो, अथवा यदि मुख्यमंत्री का विचार हो कि बैठक में विचार-विमर्श आवश्यक है, तो उस पर परिषद् की बैठक में विचार-विमर्श किया जायगा।

(2) यदि किसी मामले को मंत्रियों के बीच परिचारित करने का निर्णय किया जाए तो मंत्रियों के बीच परिचारित किये जानेवाले उस मामले से संबंधित सभी कागज-पत्रों की प्रतिलिपियां साथ-साथ राज्यपाल के पास भी भेजी जाएंगी।

17। (1) जो मामले नियम 16 के अधीन राय के लिए परिचारित किए जाएं, उनमें अगर मामले अविलम्ब्य हों तो, मुख्यमंत्री यह निर्देश दे सकेंगे कि यदि मंत्री परिचारित संलेख में उनके द्वारा उल्लिखित तारीख तक अपनी राय परिषद्-सचिव को संसूचित नहीं करेंगे, तो यह मान लिया जायगा कि उन्होंने संलेख में दी गई सिफारिशें मान ली हैं।

(2) यदि मंत्रियों ने परिचारित संलेख में दी गई सिफारिशें मान ली हों, अथवा जिस तारीख तक उन्हें अपनी राय संसूचित करनी हो वह तारीख बीत चुकी हो, तो परिषद्-सचिव उस मामले को मुख्यमंत्री के पास उपस्थापित करेंगे। यदि मुख्यमंत्री सिफारिशें मान लें, और यदि उन्हें कुछ कहना न हो, तो वे उस मामले को परिषद्-सचिव के पास लौटा देंगे। परिषद्-सचिव उसे संबद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के पास भेज देंगे। उसके बाद संबद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव आवश्यक आदेश निर्गत करने के लिये कार्रवाई करेंगे।

18। (1) किसी मामले को परिषद् के सामने पेश करने का निर्णय हो जाने पर उस मामले से संबद्ध विभाग, जबतक कि मुख्यमंत्री अन्यथा निदेश न दें, एक संलेख तैयार करेगा। इसमें मामले के प्रमुख तथ्य और निर्णय बातें जहां तक हो सके, ठीक-ठीक दी जायेंगी। साथ-ही, यदि मामला सीधा सादा अविवादास्पद न हो तो प्रतिपादित कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष में, युक्तियां भी पेश की जायेंगी, लेकिन अंततः अनुशंसित विचार के लिहाज से लाभ पर ज्यादा और हानि पर कम जोर न दिया जायगा।

(2) यदि संलेख की विषय-वस्तु का संबंध संलेख उपस्थापित करनेवाले विभाग के अलावे सचिवालय के अन्य विभाग या विभागों से भी हो तो इस बात का उल्लेख कर दिया जा

कि संबद्ध विभाग या विभागों ने संलेख में बताए तरीके से की जानेवाली कार्रवाई के संबंध में सहमति दी है या नहीं। यदि विभाग या विभागों ने कोई आपत्ति उठाई हो तो संलेख में उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा संलेख का प्रारूप उक्त विभाग या विभागों को दिखा देना चाहिए। आपत्ति करनेवाला विभाग एक अनुपूरक संलेख उपस्थापित कर सकेगा, जो मुख्य संलेख के साथ लगा दिया जायगा।

(3) जिन मामलों में राज्य लोक-सेवा आयोग से परामर्श किया गया हो उनके विषय में आयोग के पत्र की प्रतिलिपि संलेख के साथ लगा दी जायगी।

(4) सेवाओं में और पदों पर की जानेवाली नियुक्तियों से संबंधित मामलों में, संलेख में ऐसे हरेक उम्मीदवार की योग्यताएं पूरी-पूरी वर्णित होनी चाहिए जिसका नाम संलेख में अथवा संलग्न राज्य लोक-सेवा आयोग के पत्र की प्रतिलिपि में उल्लिखित हो।

(5) यदि मुख्यमंत्री निदेश दें तो अन्य कागज-पत्र तथा टिप्पणियों और कार्य-वृत्तों की प्रतिलिपियां भी संलेख के अंगस्वरूप रहेंगी।

(6) मंत्रियों के बीच परिचारित करने के लिये परिषद्-सचिव के पास संलेख की आवश्यकतानुसार प्रतियां भेजी जायंगी। परिषद्-सचिव संलेख की एक प्रति राज्यपाल के पास भेज देंगे।

19। जिन मामलों का सम्बन्ध अनेक मंत्रियों से हो उनमें मंत्रिगण पहले ही विचार-विमर्श करके सहमत होने की कोशिश करेंगे। यदि मंत्रिगण सहमत हो जाएं तो नियम 17 या 18 में निर्दिष्ट संलेख में मंत्रियों की संयुक्त सिफारिशें दी जायेंगी। यदि मंत्रिगण सहमत न हों तो मतभेद की बातें और संबद्ध हरेक मंत्री की सिफारिशें संलेख में लिख दी जायेंगी।

20। (1) परिषद् की बैठक मुख्यमंत्री द्वारा निदेशित स्थान और समय पर होगी।

(2) जब मुख्य मंत्रिपरिषद् में विचारणीय मामलों का कार्यावली (एजेंडा)-पत्र अनुमोदित कर दें, तब परिषद्-सचिव उसकी प्रतियां, नियम 18 के अधीन परिचारित न किए गए संलेखों की प्रतियों के साथ, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के पास भेजेंगे, ताकि उनके पास ऐसी बैठक की तारीख के पूरे दो दिन पहले पहुंच जाय। आपात की स्थिति में मुख्यमंत्री पूरे दो दिन की उक्त अवधि को कम कर सकेंगे। कार्यावली (एजेंडा) और संलेखों की प्रतियां साथ ही राज्यपाल के पास भी भेजी जायेंगी।

(3) जिस मामले में संबंधित कागज-पत्र नियम 18 की अपेक्षानुसार परिचारित न किए गए हों, वह मामला मुख्यमंत्री की अनुमति से ही बैठक की कार्यावली (एजेंडा) में शामिल किया जायगा, अन्यथा नहीं।

(4) यदि कोई मंत्री दौरे पर हों तो कार्यावली (एजेंडा)-पत्र संबद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के पास भेजा जायगा। यदि प्रधान सचिव/सचिव का विचार हो कि मंत्री के लौटने पर ही किसी खास मामले पर विचार-विमर्श होना चाहिए तो वह परिषद्-सचिव से अनुरोध कर सकेंगे कि मंत्री के लौटने तक उस मामले पर विचार-विमर्श स्थगित रखने के लिए वह मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त कर लें।

(5) मुख्य मंत्री या उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोनीत कोई अन्य मंत्री, परि की बैठक की अध्यक्षता करेंगे ।

(6) मामले से संबद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, बुलाए जाने पर, बैठक में उपस्थि होने के लिए उपलब्ध रहेंगे ।

(7) परिषद्-सचिव परिषद् की सभी बैठकों में उपस्थित रहेंगे । वे बैठक की अध्यक्ष करनेवाले मंत्री के अनुमोदन से हरेक मामले के सम्बन्ध में किए गए निर्णयों का अभिले तैयार करेंगे । इसके बाद उस अभिलेख की एक-एक प्रति मुख्यमंत्री, हरेक मंत्री त राज्यपाल के पास भेज देंगे ।

भाग 3—कार्य का विभाग द्वारा निबटाव

21। किसी अन्य नियम द्वारा अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर, मामले साधारणत प्रभारी मंत्री द्वारा या उनके प्राधिकार से निबटाए जायेंगे । विभाग में मामलों के निवटा के लिए प्रभारी मंत्री स्थायी आदेशों के जरिए यथोचित निर्देश दे सकेंगे और उक्त स्थाय आदेशों की प्रतियां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास भेजी जायेंगी ।

22। हरेक मंत्री स्थायी आदेशों के जरिए सम्बद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के सा यह व्यवस्था करेंगे कि कौन-कौन से अथवा किस-किस प्रकार के विषय उनकी निजी दृष्टि म लाए जायेंगे । ऐसे स्थायी आदेशों की प्रतियां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास भेजी जायेंगी

23। इन नियमावली में अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर, मामला जिस विभाग क हो, उस विभाग के प्रधान सचिव/सचिव उसे प्रभारी मंत्री के समक्ष उपस्थापित करेंगे ।

24। हर विभाग, हरेक राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निबटाए गए मामलों की मासिव तालिका तैयार करेगा और प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जिस माह में आदेश जारी किए गए हों उसके अनुवर्ती माह की समाप्ति के पूर्व, उसे प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव के माध्यम से मंत्री के पास उपस्थापित करेगा। प्रधान सचिव, सचिवों, विशेष सचिवों और अपर सचिवों द्वारा निबटाए गए मामलों की तालिकाएं संबद्ध मंत्री द्वारा देख लिए जाने के बाद मुख्यमंत्री के पास उपस्थापित की जायेंगी । प्रभारी मंत्री द्वारा निबटाए गए मामलों की मासिक तालिकाएं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास एक साथ उपस्थापित की जायेंगी ।

25। यदि किसी मामले का विषय अनेक विभागों से संबंधित हो तो, जबतक सभी सम्बद्ध विभाग उसपर विचार न कर लें, न तो कोई आदेश निर्गत किया जायगा और न ही मामला को परिषद् के सामने रखा जायगा, किन्तु यदि मामला एकदम अविलम्ब हो तो वैसी दशा में आदेश निकलने के पहले, मुख्यमंत्री का आदेश ले लिया जायगा ।

26। यदि सम्बद्ध विभाग नियम 25 के अधीन निबटाए गए मामले के संबंध में एकमत न हों तो विभाग के प्रभारी मंत्री, यदि वह उस मामले पर आगे कार्रवाई करना चाहें, तो वह निदेश दे सकेंगे कि मामला परिषद् के सामने रखने के निमित्त आदेश के लिये मुख्य मंत्री के पास उपस्थापित किया जाय ।

27। (1) मुख्य मंत्री किसी विभाग से कोई भी कागज-पत्र मांग सकेगा। ये कागज-पत्र जिस विभाग के हों उसके प्रभारी मंत्री को सूचित करके इन्हें सीधे मुख्य मंत्री के यहां यथा-सम्भव अविलम्ब भेज दिया जायगा।

(2) नियम 38(i) में यथा उपबंधित को छोड़कर और उसके सिवाय कोई मंत्री ऐसे विभाग से कोई संचिका या कागज-पत्र की मांग नहीं करेगा जिसका वह प्रभारी मंत्री नहीं है। तथ्यों के बारे में केवल वह जानकारी की मांग कर सकता है और उस दशा में मामले से संबंधित विभाग, प्रभारी मंत्री की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके उसे तथ्यपूर्ण संक्षिप्त टिप्पणी उपलब्ध करेगा। परन्तु यदि उसकी राय हो कि उस पर आगे कोई कारंवाई की जानी चाहिये तो वह अपना मत सम्बद्ध विभाग के प्रभारी मंत्री के विचारार्थ गुप्त रूप से संसूचित करेगा और असहमति होने पर, मामले को मुख्य मंत्री के सामने इस अनुरोध के साथ पेश कर सकेगा कि उक्त विषय परिषद् के समक्ष रखा जाय। इस प्रकार परिषद् के समक्ष कागज-पत्र रखे जाने के पूर्व मामले में आगे कोई टिप्पणी नहीं लिखी जायगी।

(3) कोई राज्य मंत्री या उप-मंत्री ऐसे विभाग से, जो उसके प्रभार में नहीं है, कोई संचिका या कागज-पत्र की मांग नहीं करेगा। तथ्यों के बारे में केवल वह जानकारी की मांग कर सकता है और उस दशा में मामले से संबंधित विभाग, प्रभारी मंत्री की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके उसे तथ्यपूर्ण संक्षिप्त टिप्पणी उपलब्ध करेगा।

(4) (क) मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री या किसी मंत्री के आदेश से अथवा स्वप्रेरणा से किसी मामले से सम्बन्धित कागज-पत्र किसी विभाग से देखने के लिये मांग सकेगा। सम्बद्ध विभाग का प्रधान सचिव/सचिव ऐसे अनुरोध का अनुपालन करेगा।

(ख) मुख्य सचिव मामले को, जांच करने के बाद इसे प्रभारी मंत्री के या प्रभारी मंत्री की मारफत मुख्यमंत्री के आदेशार्थ उपस्थापित कर सकेगा।

(5) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय (निगरानी) या किसी विभाग के निगरानी कोषांग (सेल) से भिन्न, किसी विभाग का कागज-पत्र, देखने के लिये मांग सकेगा, बशर्ते कि उक्त कागज-पत्र उसके विभाग के किसी मामले को निबटाने के लिये अपेक्षित हो। यदि प्रधान सचिव/सचिव द्वारा मांग की जाय तो वैसी दशा में मंत्रिमंडल सचिवालय (निगरानी) या निगरानी कोषांग से संबंधित विभाग मूल संचिका न भेजकर, आवश्यक सीमा तक, उस मामले का केवल तथ्यपूर्ण संक्षिप्त टिप्पणी विभाग के प्रभारी मंत्री की पूर्व स्वीकृति से उसको उपलब्ध कराएगा।

28। मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री एवं संसदीय सचिव द्वारा कार्यभार त्यागने पर उनके निजी कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्थायी पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मंत्री/राज्य मंत्री/उप-मंत्री/संसदीय सचिव के आवासीय कार्यालय में लम्बित या निबटाए गये मामलों से सम्बन्धित सभी संचिकाएं सम्बद्ध विभागों को लौटा दी जाएं।

विभागीय सचिव भी यह देख लेंगे कि सम्बन्धित मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री या संसदीय सचिव के आवासीय कार्यालय से अपने विभाग की सभी लम्बित संचिकाएं मंत्री/राज्य मंत्री/उप-मंत्री/संसदीय सचिव के पद त्यागने के तुरत बाद विभाग में लौट जाएं। यदि ऐसी कोई संचिका नहीं लौटी है तो वे स्थिति से मुख्य सचिव को अविलम्ब अवगत करायेंगे।

29. यदि किसी मामले के बारे में यह प्रश्न उठे कि वह ठीक-ठीक किस विभाग से संबंधित है तो इसके निर्णय के लिए वह विषय मुख्य सचिव के पास भेज दिया जायगा। मुख्य सचिव, यदि आवश्यक समझें तो, मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त कर लेंगे।

30. रोजमर्रे के अथवा मामूली ढंग के पत्रों से भिन्न भारत सरकार से प्राप्त सभी सरकारी पत्रादि को (जिसमें प्रधान मंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों से प्राप्त पत्र भी शामिल हैं) प्राप्त होते ही, तुरत सम्बद्ध प्रधान सचिव/सचिव प्रभारी मंत्री के सामने रखेंगे। प्रधान सचिव/सचिव ऐसे पत्रों की प्रतिलिपि तैयार कर लेंगे और उसे मुख्य मंत्री तथा सभी मंत्रियों के बीच अवलोकनार्थ परिचारित करा देंगे। साथ ही, इसकी एक अलग प्रतिलिपि राज्यपाल के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थापित की जायगी।

31. जिस बात से राज्य सरकार के भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के साथ विवाद में पड़ जाने की संभावना हो, उस बात को किसी ऐसे विवाद की संभावना दीख पड़ते ही, राज्यपाल, मुख्य मंत्री और प्रभारी मंत्री की दृष्टि में लाया जायगा।

32. (क) निम्नलिखित मामले, प्रभारी मंत्री द्वारा विचारित हो जाने के बाद किन्तु आदेश निकलने के पूर्व, सम्बद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, मुख्य सचिव के मारफत मुख्य-मंत्री के सामने उपस्थापित करेंगे :—

(i) अनुच्छेद 161 के अनुसार दंड की क्षमा, प्रविलंबन, विराम या छूट के अथवा दंडादेश के निलम्बन, छूट या लघुकरण के प्रस्ताव।
(ii) नीति सम्बन्धी प्रश्न उठाने वाले मामले और प्रशासनिक महत्व के मामले जो तृतीय अनुसूची के अन्तर्गत न हों।
(iii) राज्य की शांति-सुव्यवस्था को प्रभावित करने या कर सकने वाले मामले।
(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े वर्गों के हितों पर प्रभाव डालने या डाल सकने वाले मामले।
(v) भारत सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय, या उच्च-न्यायालय के साथ राज्य सरकार के सम्बन्ध पर प्रभाव डालने वाले मामले।
(vi) बिना-विचारण व्यक्तियों के निरोध के लिए अनुच्छेद 22(4)(क) के अधीन सलाहकार-बोर्ड का गठन।
(vii) सम्बद्ध सेवा के काल-मान से ऊपर के पद पर राज्य-सेवा के किसी पदाधिकारी की प्रोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले या दक्षतारोक पर उसके रोध से सम्बन्धित प्रस्ताव।
(viii) अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य-सेवाओं के पदाधिकारियों की चारित्रियों में अभिलिखित प्रतिकूल अभ्युक्तियों को रूपभेदित या अपलोपित करने का प्रस्ताव।

टिप्पणी—प्रतिकूल अभ्युक्ति सम्बद्ध पदाधिकारी को प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से संसूचित की जा सकती है। उपर्युक्त मामलों में प्रभारी मंत्री कतिपय कोटि के पदाधिकारियों को प्रतिकूल अभ्युक्ति संसूचित करने का प्राधिकार किसी अवर-प्राधिकार को भी दे सकता है।

(ix) राज्य-सेवाओं के पदाधिकारियों को दंड-स्वरूप या अन्यथा मुअतल करने अथवा उन्हें निन्दन, वेतन-वृद्धि या प्रोन्नति की रोक या पंक्तिच्युति का दंड देने का प्रस्ताव।

(x) निर्वाचन-आयोग का कोई पत्र खासकर स्टाफ की जरूरत के सम्बन्ध में और उस पर प्रस्तावित कार्रवाई।

(xi) अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों को देय वेतन, भत्ते या पेंशन पर प्रभाव डालने वाले प्रस्तावित नियम।

(xii) राज्यपाल की निजी स्थापना और राजभवन सम्बन्धी मामले।

(xiii) ऐसे मामले, जो अनुसूचित क्षेत्रों में संसद या राज्य विधान-मंडल के अधिनियम लागू करने तथा उन क्षेत्रों में शांति और सुशासन के लिए विनियम बनाने से सम्बन्धित हों।

(xiv) इन नियमों से कोई भी विचलन, जो मुख्य सचिव या किसी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव की जानकारी में आए।

(xv) लोक-निधि के गबन, दुर्विनियोग या हरण के ऐसे सभी मामले, जहां 10,000 (दस हजार) रुपए से अधिक की रकम अन्तर्ग्रस्त हो, मुख्य मंत्री के समक्ष रखे जायेंगे। उससे कम रकम वाले मामले विभाग के प्रभारी मंत्री के समक्ष रखे जायेंगे।

(xvi) परामर्शदातृ समिति, निकाय, निगम, पर्षद् इत्यादि का गठन।

(xvii) 1,325 (एक हजार तीन सौ पच्चीस) रुपये तक के अधिकतम वेतन पाने वाले पदों पर लोक-सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले।

(xviii) किसी मामले की नीति सम्बन्धी या प्रशासनिक महत्व का होने या न होने का प्रश्न।

(ख) मुख्य मंत्री निम्न प्रकार के मामले, आदेश निकालने के पहले, राज्यपाल के समक्ष उपस्थापित करेंगे :—

(i) अनुच्छेद 161 के अनुसार दंड की क्षमा, प्रविलंबन, विराम या छूट के अथवा दंडादेश के निलंबन, छूट या लघुकरण के प्रस्ताव;

(ii) राज्य की शांति-सुव्यवस्था पर प्रभाव डालने या डाल सकने वाले मामले;

(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े वर्गों के हितों पर प्रभाव डालने या डाल सकने वाले मामले;

(iv) भारत सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के साथ राज्य सरकार के सम्बन्ध पर प्रभाव डालने वाले मामले;

(v) राज्यपाल की निजी स्थापना और राजभवन सम्बन्धी मामले;

(vi) राज्य लोक-सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव की नियुक्ति के प्रस्ताव;

(vii) ऐसे मामले, जो अनुसूचित क्षेत्रों में संसद् या राज्य विधान-मंडल के अधिनियम लागू न किये जाने तथा उन क्षेत्रों में शांति और सुशासन के लिये विनियम बनाने से सम्बन्धित हों;

(viii) इन नियमों से कोई भी विचलन जो मुख्य मंत्री या किसी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव की जानकारी में आए;

(ix) विधान-मंडल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक वित्त विवरण और अनुपूरक अतिरि या अधिकाई अनुदानों की मांगों तथा विनियोग बिल सम्बन्धी प्रस्ताव;
(x) अध्यादेश के प्रख्यापन और प्रत्याहरण (वापसी) के प्रस्ताव;
(xi) राज्य विधान-मंडल के आह्वान, सत्रावसान या विघटन के प्रस्ताव;
(xii) मंत्रियों के परिवार के सदस्यों के खनिज, वन, सैरात अथवा उद्योग-धंधा सम्बन्ध अधिकार, समनुदान, अनुदान, पट्टा अथवा अनुज्ञा, भूमि बन्दोबस्ती अथव राजस्व अभ्यर्पण सम्बन्धी मामले जिनमें अन्तिम निर्णय मंत्री अथवा मंि परिषद् को लेना हो; और
(xiii) प्रशासनिक महत्व के अन्य मामले जिन्हें मुख्य मंत्री आवश्यक समझे।

33. जहां किसी मामले में राज्यपाल समझें कि आगे और भी कोई कार्रवाई की जा चाहिए, अथवा प्रभारी मंत्री के आदेशों के अनुसार की जानेवाली कार्रवाई से भिन्न कार्रवा की जानी चाहिए, वहां राज्यपाल अपेक्षा कर सकेंगे कि यह मामला परिषद् के सामने विचारा रखा जाए और ऐसी स्थिति में मामला परिषद् के सामने विचारार्थ रखा जायगा:

परन्तु ऐसे किसी मामले में राज्यपाल का नोट, वृत्त या टीका-टिप्पणी सचिवालय अभिले में तबतक सन्निविष्ट न की जाएगी जब तक कि राज्यपाल ऐसा करने का निदेश न दें।

34. मुख्य मंत्री—

(क) राज्यपाल के समक्ष राजकाज-प्रशासन सम्बन्धी ऐसी जानकारी और विधान ऐसे प्रस्ताव उपस्थापित करायेंगे जो वह मांगें; तथा
(ख) यदि राज्यपाल अपेक्षा करें तो, परिषद् के सामने ऐसे किसी विषय को विचारा रखेंगे जिसपर किसी मंत्री ने तो निर्णय ले लिया हो किन्तु परिषद् ने विच न किया हो।

वित्त विभाग

35. राज्य के वित्त पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रस्तावों पर, और खासकर निम्नलिखि प्रस्तावों पर, आदेश निकलने के पूर्व, वित्त विभाग से परामर्श कर लिया जायगा:—

(क) लोक-सेवा में कोई पद जोड़ने या कोई पद तोड़ने अथवा किसी पद को उपलब्ि में हेर-फेर करने के प्रस्ताव;
(ख) किसी पद या पद-वर्ग के लिए अथवा राज्य सरकार के किसी सेवक को को भत्ता अथवा विशेष या निजी वेतन मंजूर करने के प्रस्ताव;
(ग) ऐसे प्रस्ताव, जिनमें राजस्व का परित्याग अन्तर्ग्रस्त हो या ऐसा खर्च अन्तर्ग्र हो जिसके लिए विनियोग-अधिनियम (एप्रोप्रिएशन ऐक्ट) में कोई उपबन न किया गया हो।

36. वित्त विभाग का विचार उस विभाग के स्थायी अभिलेख में सन्निविष्ट किया जायग जिस विभाग का वह मामला हो और वह विचार उस मामले का अंग बन जायगा।

37. वित्त विभाग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे मामले विहित कर सकेगा जिनके सम्बन्ध में यह मान लिया जायगा कि वित्त विभाग ने अनुमति दे दी है।

38. (1) वित्त मंत्री, ऐसे मामले से सम्बन्धित कोई कागज-पत्र मंगा सकेंगे जिसमें नियम 12 या नियम 35 में निर्दिष्ट कोई बात अन्तर्ग्रस्त हो, और सम्बन्धित विभाग मांगे गए कागज-पत्र देगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन मांगे गये कागज-पत्र प्राप्त होने पर वित्त-मंत्री अनुरोध कर सकेंगे कि उन कागज-पत्रों को, उनकी टिप्पणी सहित, परिषद् के सामने रखा जाए।

(3) वित्त विभाग सभी विभागों की सामान्य वित्तीय प्रक्रिया को शासित करने के लिए तथा वित्त विभागीय कार्य और वित्त विभाग के साथ अन्य विभागों के व्यवहारों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेंगे।

विधि (विधान) विभाग

39. इस नियमावली में आगे उपबन्धित स्थिति को छोड़कर, विधि (विधान) विभाग विधान के सम्बन्ध में उद्भावक या आरम्भक विभाग नहीं है और इसका उचित कृत्य है उस विधान योजना को तकनीकी आकार देना, जिसकी नीति अनुमोदित हो चुकी है। विधान की विषयवस्तु का सम्बन्ध जिस विभाग से हों, उसी विभाग में विधान-आरम्भण के हरेक प्रस्ताव पर विचार होगा और ऐसे प्रस्ताव को, यदि आवश्यक हो तो, उसी विभाग में अन्तरित कर दिया जायगा, विधान की आवश्यकता तथा विधेयक में निर्विष्ट की जानेवाली सभी सारवान बातों पर उसी विभाग में विचार-विमर्श होगा और नियम 10 के अधीन रहते हुए वहीं उन्हें तय किया जायगा :

40. विधान-आरम्भण का प्रस्ताव एक मामला माना जायगा और तदनुसार निबटाया जायगा :

परन्तु, जबतक सम्बद्ध विभाग निम्न बातों के सम्बन्ध में विधि (विधान) विभाग से परामर्श न कर लें, तबतक यह मामला मुख्य मंत्री के समक्ष न रखा जायगा :—

(1) वैधिक दृष्टि से प्रस्तावित विधान की आवश्यकता ;
(2) प्रस्तावित विधान को अधिनियमित करने की राज्य विधान मंडल की क्षमता ;
(3) उस पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के सम्बन्ध में संविधान की अपेक्षाएं ; और
(4) संविधान के उपबन्धों और खासकर मूल अधिकारों से सम्बन्धित उपबन्धों के साथ प्रस्तावित विधान की संगति।

41. यदि प्रभारी मंत्री विधान बनाने के बारे में अपना निर्णय दे दें और यदि इस विधान के चलते राज्य की संचित निधि से खर्च करना पड़े, तो सम्बद्ध विभाग वित्त विभाग के परामर्श से एक वित्तीय ज्ञापन तैयार करेगा। इसके बाद कागज-पत्र विधि (विधान) विभाग में इस अनुरोध के साथ भेज दिये जायेंगे कि वह विभाग तदनुसार विधेयक का प्रारूप तैयार करे।

42. इसके बाद विधि (विधान) विभाग विधेयक का प्रारूप तैयार करेगा और मामले को सम्बद्ध विभाग के पास वापस भेज देगा।

43. प्रशासी विभाग विधेयक प्रारूप पर यथावश्यक पदाधिकारियों और निकायों से राय मांगेगा तथा प्राप्त राय को, कच्चे विधेयक प्रारूप की प्रति के साथ, प्रभारी मंत्री के सामने उपस्थापित करेगा।

44. यदि कच्चे विधेयक-प्रारूप को प्रभारी मंत्री अनुमोदित कर दें तो उसे अन्य मंत्रियों के बीच परिचारित किया जायगा और उसकी एक प्रति राज्यपाल के पास भी भेजी जायगी। यदि मुख्य मंत्री अन्यथा निर्देश न दें, तो यह कच्चा विधेयक-प्रारूप परिषद् की बैठक में पेश किया जायगा।

45. यदि विधेयक पर, संशोधन सहित या रहित, आगे कार्रवाई करने का निर्णय किया जाए, तो उद्भावक विभाग उस मामले को विधि (विधान) विभाग के पास इस अनुरोध के साथ भेज देगा कि वह विधेयक का अन्तिम प्रारूप तैयार करे।

46. इसके बाद विधि (विधान) विभाग प्रारूप को अन्तिम रूप देगा और विधेयक-प्रारूप उद्भावक विभाग के पास भेज देगा; साथ ही यदि उस विधेयक के लिए कोई मंजूरी अपेक्षित हो तो इस बारे में भी संकेत कर देगा। यदि ऐसे विधेयक का कोई उपबन्ध, जिसमें राज्य की संचित निधि से खर्च अन्तर्ग्रस्त हो, परिमार्जित प्रारूप में रूपभेदित हो जाए तो सम्बद्ध विभाग, यदि आवश्यक हो, तो वित्तीय ज्ञापन के पुनरीक्षण के लिए परिमार्जित विधेयक-प्रारूप को वित्त विभाग के पास भेज देगा।

47. उद्भावक विभाग तब अन्तिम विधेयक-प्रारूप को और उस पर दिये गये सरकारी अनुदेशों को विधि (विधान) विभाग के पास भेज देगा। उन अनुदेशों के साथ विधान-परिषद् या विधान-सभा में विधेयक पुरःस्थापित करने के बारे में अनुदेश भी होंगे और विधेयक में अन्तर्निहित उन कागजों-पत्रों की प्रतियां भी होंगी जिन्हें विधान-परिषद् और विधान-सभा को संसूचित किया जाना चाहिए। इस अन्तरण के बाद वह विधेयक विधि (विधान) विभाग का समझा जायगा।

48. नियम 39 में किसी बात के होते हुए भी वर्तमान अधिनियमों के मात्र संहितायन एवं समेकन, तथा निरसन एवं संशोधन विधेयक जैसे औपचारिक ढंग के विधान विधि (विधान) विभाग में आरम्भित हो सकेंगे :

परन्तु विधि (विधान) विभाग विधेयक-प्रारूप की एक प्रति उसकी विषय-वस्तु से सम्बद्ध विभाग को प्रशासनिक विधान के रूप में विचार के लिए भेज देगा और, जिस विभाग को यह भेजा जाए, वह विभाग तुरत यथोचित पूछताछ करेगा तथा उसके सम्बन्ध में अपनी राय, उस विषय पर प्राप्त हरेक संसूचन की एक-एक प्रति के साथ विधि (विधान) विभाग के पास भेज देगा।

49. (1) जब कभी राज्य विधान-मंडल का कोई गैर-सरकारी सदस्य कोई विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने के अपने अभिप्राय की सूचना दे, तब विधि (विधान) विभाग तुरत उस विधेयक और उद्देश्य हेतु विवरण की एक प्रति मुख्य मंत्री तथा उस मामले से सम्बद्ध विभाग के पास जानकारी के लिए भेज देगा।

(2) विधि (विधान) विभाग विधेयक को प्रथमतः एक मामले के रूप में निबटाएगा। इस क्रम में उसके तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जायगा, जैसे कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता तथा प्रस्तावित विधान अधिनियमित करने की राज्य विधान-मंडल की क्षमता। इसके बाद विधि (विधान) विभाग अपनी राय के साथ उस विधेयक को मामले से सम्बद्ध विभाग के पास भेज देगा।

(3) यदि विधेयक के किसी उपबन्ध में राज्य की संचित निधि से खर्च अन्तर्ग्रस्त हो तो सम्बद्ध विभाग, उस विधेयक के परिचारित होने के पूर्व, उसके सम्बन्ध में वित्त विभाग के परामर्श से एक वित्तीय ज्ञापन तैयार करेगा।

50. नियम 49 के उपबन्ध यथासम्भव उन सारवान संशोधनों पर लागू होंगे जिनकी सिफारिश प्रवर समिति ने की हो। ये उपबन्ध उन सभी संशोधनों पर भी लागू होंगे जिन्हें प्रस्तावित करने की सूचना राज्य विधान-मंडल में किसी विधेयक पर विचार के दौरान विधान-मंडल के सदस्य दें।

51. (1) जब विधान-मंडल किसी विधेयक को पारित कर दे, तब सम्बद्ध विभाग और विधि (विधान) विभाग, दोनों उसकी जांच करेंगे और विधेयक निम्न रिपोर्टों के साथ राज्यपाल के पास अग्रसारित कर दिया जायगा :—

(क) यदि कारण हो तो सम्बद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव की रिपोर्ट कि विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए; और

(ख) यदि कारण हो तो विधि-सचिव की रिपोर्ट कि विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ क्यों नहीं रखा जाए।

(2) जहां राज्यपाल निदेश दें कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाए अथवा उसे विधान-मंडल को किसी संदेश के साथ वापस कर दिया जाए, वहां राज्यपाल के सचिव, सम्बद्ध प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव और विधान-सचिव से परामर्श करके इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(3) यथास्थिति राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के बाद विधि (विधान) विभाग उस विधेयक को राज्य विधान-मंडल के अधिनियम के रूप में सरकारी गजट में प्रकाशित करने के लिए कार्रवाई करेगा।

52. जब कभी विधि (विधान) विभाग से भिन्न किसी विभाग में—

(*i*) कोई परिनियत नियम, अधिसूचना या आदेश निकालने का; अथवा

(*ii*) अधीनस्थ प्राधिकार द्वारा कोई नियम, उप-विधि, अधिसूचना या आदेश निकाले जाने के लिए परिनियत शक्ति के अधीन मंजूरी देने का ; अथवा

(*iii*) केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाले जाने के लिए किसी परिनियत नियम, अधिसूचना या आदेश का प्रारूप केन्द्रीय सरकार के समक्ष उपस्थापित करने का—

प्रस्ताव किया जाए, तब सम्बद्ध प्रारूप, राय और यथावश्यक पुनरीक्षण के लिए विधि (विधान) विभाग के पास भेज दिया जायगा।

विधि (न्याय) विभाग

53. (1) सभी प्रशासी विभाग निम्न बातों के संबंध में विधि (न्याय) विभाग (विधि परामर्शी) से परामर्श करेंगे :—

(क) परिनियम, अधिनियम, विनियम और परिनियत नियम, आदेश तथा अधिसूचना का अन्वय (अर्थ लगाना) ;

(ख) किसी मामले से उद्‌भूत सामान्य विधि सिद्धांत ; तथा

(ग) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के भ्रष्टाचार से संबंधित धाराओं के अन्तर्गत जनसेवकों के विरुद्ध अभियोजन को छोड़कर किसी प्रशासी विभाग की प्रेरणा से कोई अभियोजन चलाया जाना या उठाया जाना।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के भ्रष्टाचार संबंधी धाराओं के अन्तर्गत स्वीकृत्यादेश प्रशासी विभाग द्वारा ही निर्गत किया जायगा।

(2) ऐसे हरेक निर्देश के साथ मामले के तथ्यों का, और जिस बात या जिन बातों पर विधि (न्याय) विभाग की सलाह वांछित हो, उस बात या उन बातों का ठीक-ठीक विवरण भेजा जायेगा।

उद्योग विभाग

54. नये उद्योगों की स्थापना में या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन निगमों/प्राधिकारों में पदों के सृजन और उनपर नियुक्ति के मामले में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित स्थायी समिति अनुशंसा करेगी। तदुपरांत परिषद् का आदेश उस पर प्राप्त किया जायगा। स्थायी समिति द्वारा लिया गया निर्णय संबंधी विभागों की औपचारिक सहमति से लिया गया निर्णय माना जायगा।

भाग 4—अनुपूरक

55. सम्बद्ध विभाग का प्रधान सचिव/सचिव, हरेक मामलों में कार्य के उचित सम्पादन और इस नियमावली के सावधानी से अनुपालन का उत्तरदायी है। जहां वह समझे कि इस नियमावली से कोई सारभूत विचलन हुआ है, वहां स्वयं यह बात प्रभारी मंत्री और मु सचिव की दृष्टि में लायगा।

56. यह नियमावली आवश्यकतानुसार उन अनुदेशों द्वारा अनुपूरित की जा सकेगी, जो मुख्य मंत्री की सलाह पर राज्यपाल निकालें।

प्रथम अनुसूची

विभाग

(1) मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।
(2) गृह विभाग।
(3) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।
(4) राजभाषा विभाग।
(5) संसदीय कार्य विभाग।
(6) वित्त विभाग।
(7) योजना एवं विकास विभाग।
(8) ग्रामीण विकास विभाग।
(9) नगर विकास एवं आवास विभाग।
(10) कल्याण विभाग।
(11) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
(12) शिक्षा विभाग।
(13) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।
(14) उद्योग विभाग।
(15) ईख विभाग।
(16) खान एवं भूतत्व विभाग।
(17) वन विभाग।
(18) कृषि विभाग।
(19) सहकारिता विभाग।
(20) पशु एवं मत्स्य पालन विभाग।
(21) विद्युत् विभाग।
(22) लघु सिंचाई विभाग।
(23) सिंचाई विभाग।
(24) लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग।
(25) लोक-कार्य विभाग।
(26) परिवहन विभाग।
(27) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग।
(28) पर्यटन विभाग।

(29) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

(30) उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

(31) खाद्यान्न एवं पुनर्वास विभाग ।

(32) श्रम एवं नियोजन विभाग ।

(33) खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

(34) विधि विभाग ।]

सचिवालय विभागों के बीच कार्यों के वर्गीकरण और वितरण की सूची ।

1. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ।

(1) मंत्रि-परिषद् की बैठक-विषयक कार्य ।

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और गृह विभागों से संबंधित पत्रों से भिन्न मुख्य सचिव को संबोधित पत्र ।

(3) सरकारी विभागों के मासिक कार्यकलापों का प्रतिवेदन ।

(4) विकास आयुक्त द्वारा निबटाए जाने वाले विषयों से भिन्न, सचिवालय स्तर पर अंतर्विभागीय समन्वय संबंधी विषय ।

(5) कार्यपालिका नियमावली में विनिहित मुख्य सचिव के कृत्य और कर्तव्य संबंधी विषय ।

(6) कार्यपालिका नियमावली ।

(7) राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी कार्य ।

(8) राज्यपाल सचिवालय संबंधी प्रशासनिक विषय ।

(9) मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनके बीच विभागों का आवंटन ।

(10) मंत्रियों के आप्त सचिवों एवं अपर आप्त सचिवों की नियुक्ति ।

(11) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों, संसदीय सचिवों की उपलब्धियां ।

(12) मुख्य मंत्री सचिवालय संबंधी प्रशासनिक विषय।
(13) संस्थाओं को मान्यता प्रदान।
(14) भारत सरकार अथवा अन्य राज्यों के मंत्रियों और विदेशी गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन।
(15) राजचिह्न, राष्ट्रीयगीत एवं राष्ट्रीयध्वज।
(16) राज समारोह का आयोजन।
(17) गणतंत्र दिवस एवं स्वाधीनता दिवस समारोह।
(18) राज्य अन्त्येष्टि।
(19) राज्य अतिथिशाला (पटना परिसदन में अति महान आगन्तुक पद के साथ)।
(20) बिहार भवन।
(21) सचिवालय ग्रंथागार।
(22) राज्य अभिलेखागार।
(23) निगरानी।
(24) संसद निर्वाचन।
(25) राज्य विधान-मंडल निर्वाचन।
(26) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(3)(ई) तथा 333 के अधीन विधान परिषद और विधान-सभा के सदस्यों का मनोनयन।

2. गृह विभाग।

(i) विशेष शाखा।

(1) भारत में, और प्रतिरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा या परराष्ट्र मामलों से संबद्ध राज्य-कारणों से, निवारक निरोध।
(2) नेपाल-कार्य।
(3) प्रसारण।
(4) सामान्य राजनैतिक विषय और सार्वजनिक सुव्यवस्था।
(5) राज्य के भीतर क्षेत्रीय परिवर्त्तन और उससे संबंधित भूमि की खोज (जिलों और अनुमंडलों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।
(6) राज्य और राजनैतिक कैदी।
(7) समाचार-पत्रों, पुस्तकों और मुद्रणालयों का नियंत्रण।
(8) गृह-रक्षा-वाहिनी।
(9) मिशनरी-कार्य की समितियों को मान्यता प्रदान और विदेशी मिशनरियों को प्रमाण-पत्र देना।
(10) पारपत्र एवं प्रवेश-पत्र।
(11) कारा, कारा के उपयोग के लिये अन्य राज्यों के साथ व्यवस्था।
(12) कारा विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।
(13) कारा विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।
(14) कैदियों, अभियुक्त व्यक्तियों और निवारक-निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाना।
(15) जांच आयोग अधिनियम का प्रशासन।
(16) सचिवालय आतिथ्य कार्यालय।

(17) राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन ।
(18) व्यक्ति विशेष के नाम में परिवर्त्तन ।
(19) पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् ।
(20) राष्ट्रीय एकीकरण ।
(21) दूरमुद्रण सेवा ।

(*ii*) आरक्षी शाखा ।

(1) आयुध, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद ।
(2) पुलिस, रेलवे-पुलिस और ग्राम-पुलिस सहित, इसमें पुलिस के थानों और चौकियों के क्षेत्राधिकार में परिवर्त्तन भी शामिल हैं ।
(3) बाजी और जुए का विनियमन ।
(4) विधि विज्ञान प्रयोगशाला ।
(5) रंगशाला (थिएटर) और नाट्य-अभिनय ।
(6) जंगली जानवरों के विनाश के लिये पुरस्कार ।
(7) राज्य पुलिस व तार ।
(8) विस्फोटक ।
(9) बिहार के भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण और उनकी सहायता ।
(10) आरक्षी भवन निर्माण निगम का नियंत्रण ।
(11) आरक्षी विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण ।
(12) आरक्षी विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार ।

(*iii*) सामान्य शाखा ।

(1) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सैनिक या सशस्त्र पुलिस से भिन्न; भारतीय सेना और वायु सेना अथवा भारत में गठित किसी अन्य सैन्य दल (फोर्स) से संबंधित सभी विषय ।
(2) सेना और वायु सेना संबंधी निर्माण, छावनियां ।
(3) परराष्ट्र (विदेशी) मामले, जिनमें देशीयकरण और अन्य देशीय भी शामिल हैं ।
(4) भारत से बाहर तीर्थयात्रा ।

(5) केंद्रीय राजस्व से देय राजनीतिक पेंशन और अन्य राजनीतिक व्यय भार ।

(6) सिविल (दीवानी) न्यायालयों में स्वयं उपस्थिति से विमुक्ति ।
(7) देश प्रत्यावर्त्तन ।
(8) सराय और सरायपाल ।
(9) बोध गया मन्दिर की व्यवस्था ।
(10) नागरिकता ।
(11) सैनिक महाविद्यालय, देहरादून में प्रवेश ।
(12) ध्वनि-विस्तार नियंत्रण ।
(13) रेलवे स्टेशन का नामकरण ।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

(1) भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासन सेवा ।

(2) बिहार सिविल सेवा (न्याय पदाधिकारी सहित) और अवर-सिविल सेवा ।

टिप्पणी—प्रविष्टि (1) और (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के जो पदाधिकारी प्रशासन की ऐसी शाखाओं में नियोजित हैं, जिनका नियंत्रण सचिवालय के अन्य विभाग करते हैं, उन पदाधिकारियों का दिनांतर नियंत्रण संबद्ध विभाग करेगा । किन्तु उन्हें दंड देने या निन्दन करने के किसी प्रस्तावित आदेश पर बराबर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श कर लिया जाय । जिस कार्रवाई का परिणाम इन सेवाओं के किसी सदस्य की बर्खास्तगी, हटाया जाना या पदच्युति हो वह कार्रवाई कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में की जायगी ।

(3) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ।

(4) भारतीय सिविल सेवा (आई० सी० एस०) या भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस०) के पदाधिकारियों अथवा भारतीय सिविल सेवा या भारतीय प्रशासन सेवा के संवर्गगत पदों को मौलिक या स्थानापन्न रूप से धारण करने वाले पदाधिकारियों के पटना और रांची स्थित निवासों से भिन्न निवासों का प्रशासनिक प्रभार ।

टिप्पणी—इसमें भारतीय सिविल सेवा या भारतीय प्रशासन सेवा के उन पदाधिकारियों के निवास शामिल नहीं हैं, जो अनुमंडलों के प्रभारी हैं ।

(5) सिविल सूची ।

(6) वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन तथा अन्य वित्तीय विषयों को विनियमित करने वाले नियमों को छोड़कर लोक-सेवा पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों का निर्वचन ।

(7) अवकाश ।

(8) विभागीय परीक्षाएं ।

(9) सरकारी सेवक-आचार-नियमावली ।

(10) लोक-सेवा आयोग ।

(11) भारत-संविधान संबंधी प्रश्न ।

(12) जिलों और अनुमंडलों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार ।

(13) सभी राज्य कर्मिकों (राज्य सेवायें) की जनबल योजना और प्रशिक्षण की योजना । योजना विभाग के जनबल विषय से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा

(14) सभी राज्य कर्मिकों (राज्य स्तरीय सरकारी सेवकों) के सेवा-जीवन विकास का समन्वय।

(15) संघीय लोक-सेवा आयोग के साथ सम्पर्क।

(16) ऊंचे पदों के लिये कार्मिकों का विकास। राज्य सचिवालय में सचिव, उप-सचिव, अवर-सचिव और सहायक सचिव स्तर के पदाधिकारियों तथा क्षेत्रीय संगठन के समकक्ष पदाधिकारियों की नियुक्तियां।

(17) कार्मिक प्रशासन संबंधी शोध-कार्य।

(18) संगठन-पद्धति।

(19) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों, आशुलिपिकों, निम्नवर्गीय सहायकों, टंककों आदि की नियुक्ति एवं उनके लिये विहित परीक्षाओं का संचालन।

(20) सचिवालय अनुसचिवीय कर्मचारियों का संयुक्त संवर्ग का नियंत्रण एवं स्थापना।

(21) सभी विभागों से संबंधित चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की स्थापना।

(22) प्रशासनिक सुधार।

(23) लोक आयुक्त की नियुक्ति और उनकी स्थापना आदि से संबंधित सभी विषय।

(24) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं पिछड़ी जाति के लिये आरक्षण।

4. राजभाषा विभाग।

(1) राज्य सरकार की भाषा नीति का निर्धारण और कार्यान्वयन।

(2) गजेटियर तथा कानून के अनुवाद कार्य सहित राजकीय साहित्य का हिन्दी अनुवाद।

(3) हिन्दी में सरकारी काम-काज करने के लिये मार्ग-दर्शक साहित्य की रचना और प्रकाशन।

(4) पारिभाषिक शब्दावली का संकलन, रचना, प्रकाशन एवं प्रचार।

(5) सरकारी सेवाओं में नियुक्ति, सम्पुष्टि तथा प्रोन्नति के लिये ली जाने वाली परीक्षाओं में राजभाषा हिन्दी की आर्हिता निर्धारण।

(6) सरकारी सेवकों के लिये हिन्दी प्रशिक्षण तथा परीक्षा का संचालन।

(7) केन्द्र एवं अन्य राज्यों के साथ राजभाषा विषयक समन्वय कार्य।

(8) राजभाषा संबंधी सम्मेलन, गोष्ठी, प्रदर्शन आदि का आयोजन तथा इस हेतु संबंधित संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करना।

(9) सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण कार्य।

(10) हिन्दी प्रगति समिति एवं अन्य परामर्शदातृ समितियां।

(11) भाषायी अल्पसंख्यकों की भाषा उर्दू, बंगला तथा उड़िया में सरकारी साहित्य का अनुवाद तथा प्रकाशन।

(12) 'राजभाषा' पत्रिका संबंधी प्रकाशन कार्य।

(13) राजभाषा शोध संस्थान।

(14) विभिन्न विभागों में हो रहे राजभाषा संबंधी कार्यों का समन्वय।

5. संसदीय कार्य विभाग।

(1) विधान-मंडल के संयुक्त अधिवेशन के लिये राज्यपाल के अभिभाषण का प्रारूप तैयार करना।

(2) विधान-सभा एवं विधान परिषद् के सत्रों का आह्वान और सत्रावसान करना।

(3) राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के सत्रों के लिये कार्यक्रम तैयार करना।

(4) विधान-सभा एवं विधान परिषद् में विधायी एवं अन्य सरकारी कार्यों का आयोजन एवं समन्वय।

(5) विभिन्न विभागों से संबंधित विधान-मंडल के सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदातृ समितियों का गठन एवं उनका क्रियान्वयन।

(6) विभागों द्वारा विधान-मंडल के प्रश्नों, निवेदनों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों एवं कार्य-स्थगन प्रस्तावों के उत्तर, आश्वासनों के कार्यान्वयन आदि की समीक्षा एवं उसका अनुसरण।

(7) विधान-मंडल की समितियों की सामान्य रूप से लागू अनुशंसाओं पर विभिन्न विभागों द्वारा की जानेवाली कारवाई का समन्वय।

(8) विधान-मंडल के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकारों एवं प्रभृतियों से संबंधित मामलों; संसदीय प्रणाली और कार्यों के सवध में परामर्श देना ।

(9) विधान-मंडल के सदस्य, पीठासीन पदाधिकारियों एवं उप-पीठासीन पदाधिकारियों की उपलब्धियां ।

(10) विभिन्न दलों के नेताओं एवं सचेतकों के साथ सम्पर्क ।

(11) विधान-मंडलीय कार्यों के संबंध में आवश्यकतानुसार विभागों से सम्पर्क ।

(12) विधान-सभा।परिषद् के पटल पर विभिन्न विभागीय प्रतिवेदनों का विभागों के द्वारा रखा जाना ।

(13) गैर-सरकारी सदस्य द्वारा संसूचित प्रस्ताव पर सदन में वाद-विवाद के निमित्त सरकारी समय का आवंटन ।

(14) सरकार द्वारा गठित समितियां तथा निकायों के लिये विधान-मंडल के सदस्यों का मनोनयन ।

टिप्पणी—किसी विभाग द्वारा गठित परामर्शदातृ समिति, निकाय, निगम; पर्षद आदि में जब कभी विधान-मंडल के सदस्यों को रखना अभीष्ट हो, तो प्रभारी मंत्री द्वारा विचारित हो जाने के बाद, मगर आदेश निकालने के पहले; संबद्ध विभाग उनके मनोनयन से संबंधित प्रस्ताव संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(15) संसदीय मामलों से संबंधित समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।

6. वित्त विभाग

1. आय पर कर ।
2. करेन्सी, सिक्काकारी और विधि ग्राह्य मुद्रा ।
3. संघीय राष्ट्र ऋण ।
4. स्टाम्प ।
5. राज्य सरकार के मुद्रणालय ।
6. लेखन सामग्री एवं प्रपत्र ।
7. अंकेक्षण जिसमें स्थानीय निकायों की आय एवं व्यय का सरकारी एजेन्सी द्वारा अंकेक्षण भी शामिल है ।
8. राज्य अंकेक्षण संस्था ।
9. लेखा प्रशिक्षण विद्यालय ।
10. राज्य सरकार द्वारा रुपया उधार लिया जाना और ऋण प्रदान ।
11. राज्य का लोक ऋण ।

12. वित्तीय और लेखा विषयक नियम-विनियम बनाना, संहितायें तैयार करना एवं उनका निर्वचन तथा वित्तीय ढंग के अन्य प्रश्नों का निर्वचन।

13. सरकारी सेवकों की सेवा शर्तें, वेतन, भत्ता, वेतन पुनरीक्षण, वेतन निर्धारण एवं पेंशन।

टिप्पणी—सेवाओं पर सामान्य तथा प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले विषयों में परिवर्त्तन करने के पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श कर लिया जायगा।

14. महंगाई भत्ता।

15. पेन्शन रूपान्तरण तथा अनुकम्पा अनुदान।

16. सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, भारतीय सिविल सेवा (आई० सी० एस०) और भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस०) की भविष्य निधियां।

17. अनिवार्य जमा योजना।

18. गाड़ी खरीदने, मकान बनाने, यात्रा खर्च, विवाह, त्योहार एवं अन्यान्य अग्रिम।

19. विभागों द्वारा दी गई सामग्री के आधार पर वार्षिक वित्त विवरण और अनुपूरक व्यय विवरण तैयार करना, पुनर्विनियोग एवं बचत का प्रत्यर्पण।

20. विभागों द्वारा दी गई सामग्री के आधार पर सम्पादन आय-व्ययक बनाना।

21. लेखा विनियोग तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन।

22. अकाल साहाय्य निधि का प्रबंध।

23. नियत एवं अनियत अनुदान।

24. राज्य आकस्मिक निधि।

25. वर्दी एवं तम्बू।

26. कार्यपालिका नियमावली के नियम 10 के अधीन वित्त विभाग द्वारा किये जाने वाले सामान्य प्रत्यायोजन।

27. सभी विभागों पर सामान्य प्रभाव डालने वाले मामलों से उद्भूत लिपिक और चतुर्थ वर्गीय स्थापनाओं का सामान्य पुनरीक्षण।

28. कोषागार निदेशालय।

29. भवन एवं क्षति।

30. कर बढ़ाना या घटाना।

31. वाणिज्य-कर।

32. मनोरंजन-कर, बिक्री-कर, विद्युत-कर शुल्क, मोटर स्प्रीट की खुदरा बिक्री पर कर, सिनेमा शो द्वारा विज्ञापन पर कर एवं कृषि आय-कर।

33. बिहार वित्तीय सेवा एवं वाणिज्य-कर तथा वित्त विभागों में काम करने वाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

34. पटना के न्यु कैपिटल क्षेत्र में अवस्थित राजपत्रित पदाधिकारियों के निवास-गृह को छोड़कर वाणिज्य-कर तथा वित्त विभागों के भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

35. बैंकिंग।

36. बीमा।

37. व्यापार निगमों का निगमन, विनियमन और समापन जिसमें बैंकींग, बीमा और वित्त निगम शामिल हैं किन्तु सहयोग समितियां नहीं।

38. लॉटरी निदेशालय।

39. राष्ट्रीय बचत योजना।

40. सिंठ फंड।

41. लोक उपक्रम ब्यूरो।

42. साधन श्रोत एवं अनुसंधान कोषांग।

43. प्रवासी पदवर्ग समिति।

44. सचिवालय अवभाव स्थापना।

45. सरकारी वायुयान।

(7) योजना एवं विकास विभाग

1. राष्ट्रीय विकास परिषद्

2. योजनागत परियोजना समिति

3. राज्य की पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजना (जनजाति क्षेत्र के लिये उप-योजना सहित) का प्रणयन, छानबीन तथा समंजन, योजना प्रचार, योजना संबंधी आंकड़ों का संग्रह।

4. योजना के लिये साधन श्रोतों का निर्धारण और उनका बंटवारा तथा योजनागत परियोजनाओं की सामान्य प्रगति का मूल्यांकन।

5. क्षेत्रीय विकास एवं जिला योजना।

6. जन-शक्ति आयोजन तथा सर्वेक्षण।

7. राज्य एवं राज्य से बाहर आयोजित (विदेशी प्रशिक्षण समेत) प्रशिक्षणों में राजकीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति।

8. पिछड़े क्षेत्रों एवं औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान।

9. लोक प्रशासन संस्थान (इंस्टिच्यूट ऑफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा सर्वेक्षण; अध्ययन कार्यक्रम।

10. विदेशी सहायता (विश्व बैंक समेत) से चालित योजनाओं का समन्वय काय।

11. जन-सहयोग।

12. सांख्यिक वित्त निदेशालय।

13. ग्रीष केन्द्रों में अग्रशोध परियोजना।

14. अन्त्योदय योजना।

15. विशेष नियोजन निदेशालय ।
16. सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय ।
17. राज्य योजना पर्षद ।
18. उत्तरी छोटानागपुर स्वशासी विकास प्राधिकार ।
19. दक्षिणी छोटानागपुर स्वशासी विकास प्राधिकार ।
20. संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार ।
21. विकास आयुक्त से सम्बन्धित कोई अन्य विषय ।

(8) ग्रामीण विकास विभाग

1. विकास-सह-अंचल प्रमंडल का गठन ।

2. ग्रामीण विकास और प्रखंड स्तरीय आयोजना ।

3. प्रखंडों (बहुद्देशीय जन-जाति कल्याण परियोजना सहित) विकास कार्यक्रमों का चरणबद्ध करना तथा खाद्य उत्पादन योजना सहित विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

4. ग्रामीण विकास कार्य के साथ भूदान तथा ग्रामदान कार्य का समन्वय ।

5. ग्रामीण विकास के लिये पंच-वर्षीय और वार्षिक योजनाएं ।

6. ग्रामीण अभियन्त्रण संगठन ।

7. ग्रामीण विकास से संबंधित परिनियत और अनौपचारिक समितियां, सम्मेलन और विचार गोष्ठियां ।

8. ग्रामीण विकास संबंधी प्रगति की समीक्षा, मूल्यांकन एवं सिंहावलोकन ।
9. ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्लेनिंग फौरम ।
10. व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम ।
11. प्रायोगिक गहन ग्रामीण नियोजन परियोजना ।
12. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी सांख्यिकी कार्य ।

13. उप-विकास आयुक्तों-सह-मुख्य परियोजना कार्यपालक पदाधिकारियों जिला विकास पदाधिकारियों, सहायक विकास आयुक्तों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा सहायक परियोजना कार्यपालक पदाधिकारियों का स्थानान्तरण और पदस्थापन प्रखंड स्तर के कुछ कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों का स्थानान्तरण और; पदस्थापन; प्रखंड के राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों प्रकार के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनका योगदान।

14. ग्राम पंचायत, उनका प्रशासन, शक्तियां और कृत्य तथा ग्राम पंचायत प्रखंड और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी बातें ।

15. दस हजार रुपये तक की लागत वाली लघु सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन।

16. पंचायती राज वित्त निगम का नियंत्रण।

17. जिला बोर्ड तथा स्थानीय स्व-शासन अधिनियम का प्रशासन।

18. पंचायत समितियां तथा जिला परिषद् अधिनियम का प्रशासन।

19. मवेशी काजी हौस तथा ग्रामीण क्षेत्र में मवेशी अनाधिकार प्रवेश का निवारण।

20. स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम।

21. पंचायती राज वाले जिलों में वैसे साधनों का प्रबंध, जिसकी वार्षिक बन्दोबस्ती जमा 1,000 रु० (एक हजार रुपये) से कम हो।

22. कोशी क्रान्ति योजना।

23. पंचायती राज निदेशालय में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

24. विभिन्न स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(9) नगर विकास एवं आवास विभाग

1. स्थानीय शासन, अर्थात् स्थानीय स्व-शासन के प्रयोजनार्थ नगर-निगमों, नगरपालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्रों, सुधार न्यासों (इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट), खनन बन्दोबस्त प्राधिकारों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारों का गठन और शक्तियां।

2. नगर-क्षेत्रों में कांजी हौस और पशु-अतिचार-निवारण।

3. नगरपालिका क्षेत्रों में ट्राम्बे।

4. बिहार भू-उपयोग प्रतिबंध अधिनियम (बिहार रेस्ट्रिक्शन आँफ यूसेज आँफ लैंड ऐक्ट) का प्रचालन।

5. नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन।

6. परिवेशात्मक आयोजन तथा समन्वय।

7. सिनेमा।

8. क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों का नियंत्रण।

9. नगरपालिका क्षेत्रों में लावारिस मवेशियों की हड्डी का संचयन और उसकी बन्दोबस्ती।

10. बिहार औद्योगिक गृह-निर्माण योजना।

11. साहाय्यिक औद्योगिक गृह-निर्माण योजना।

12. अल्प-आय-वर्ग-गृह निर्माण योजना।

13. गन्दी बस्ती सफाई योजना।

14. ग्राम गृह-निर्माण परियोजना संबंधी योजना।

15. मध्य-आय-वर्ग-गृह-निर्माण योजना।

16. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये किराये पर मकान की योजना।

17. भू-अर्जन और विकास स्कीम।

19. (i) अनुसूचित जाति,
(ii) अनुसूचित जन-जाति,
(iii) भूतपूर्व अपराधशील, जन-जाति, और
(iv) पिछड़े वर्ग के लिये गृह निर्माण योजना।

19. कोई अन्य गृह-निर्माण योजना जो समय-समय पर लागू की जाए।

टिप्पणी—गृह-निर्माण विभाग आवश्यकतानुसार कल्याण विभाग से परामर्श कर लेगा।

20. बिहार राज्य आवास बोर्ड का नियंत्रण।

21. नगर विकास एवं आवास विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

22. नगर विकास एवं आवास विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(10) कल्याण विभाग

1. अनुसूचित जन-जाति कल्याण, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं।—

(क) अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिये छात्रावास खोलना और बनाना।

(ख) अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को वृत्तिकाएं और पुस्तक अनुदान देना।

(ग) अनुसूचित जन-जाति वाले जिलों में अनाज गोले खोलना।

(घ) प्रमुख अनुसूचित जन-जातियों के सांस्कृतिक बोर्ड।

(ङ) अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के लिये काम करने वाली शैक्षिक संस्थाओं और समितियों को सहायता।

(च) अनुसूचित क्षेत्रों में हाथ कताई तथा खादी उत्पादन।

(छ) कुटीर-उद्योगों के विकास के लिये अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को ऋण देना।

(ज) अनुसूचित जन-जातियों के उत्थान के लिये विशेष योजनाएं।

2. अनुसूचित जाति-कल्याण, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(क) अनुसूचित जाति के छात्रों को वृत्तिका प्रदान।

(ख) अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों तथा उप-साधनों के लिये अनुदान।

(ग) कुटीर उद्योग के विकास के लिये अनुसूचित जाति के सदस्यों को ऋण।

(घ) अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावास खोलना और बनाना।

(ङ) अनुसूचित जातियों को सिविल निर्योग्यताएं हटाना और बिहार हरिजन (सिविल निर्योग्यता अपनयन) अधिनियम (बिहार हरिजन (रिमूभल ऑफ सिविल डिजेबिलीटीज) ऐक्ट (संख्या 19, 1949) का प्रचालन।

(च) अपराधशील जन-जातियों का प्रशासन और पुनर्वासन।

(छ) नगरपालिकाओं में काम करने वाली अनुसूचित जातियों की सहकारी समितियों का संघटन।

(ज) अनुसूचित जातियों के फायदे के लिये काम करने वाली शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायक अनुदान।

(झ) नगरपालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र समितियों में नियोजित हरिजन झाड़कशों के लिये आवास बनाने के लिये अनुदान।

(ञ) अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं।

3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से भिन्न, पिछड़े वर्गों का कल्याण।

4. सार्वजनिक स्थानों में भिखमंगों का विनियमन।

5. सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्राफिक इन विमेन एण्ड गर्ल्स ऐक्ट, 1956 का प्रचालन।

6. प्रखंडों में महिला तथा बच्चों का कार्यक्रम।

7. विशेष पोषाहार योजना।

8. समाज कल्याण बोर्ड का नियंत्रण।

9. दहेज प्रथा का उन्मूलन।

10. जाति प्रथा का उन्मूलन।

11. बालक अधिनियम का प्रचालन।

12. कल्याण विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

13. कल्याण विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(11) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1. मानसिक रोग अस्पताल, कांके।

2. चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, पागलखाना (एसाइलम) आदि भी तथा चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सीय अर्हता (योग्यता) और स्तरों के विनियमन का उपबंध।

3. लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा जन्म-मरनादि के आंकड़े।

4. भारत के भीतर तीर्थ यात्राएं।

5. खाद्य वस्तुओं और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण।

6. बंगाल जन्म-मरण निबंधन अधिनियम (बंगाल बर्थ एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट), 1873 (बंगाल अधिनियम 4, 1873) के अधीन जन्म-मरण का निबंधन।

7. परिवार कल्याण।

8. औषधियों पर नियंत्रण।

9. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में काम करने वाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(12) शिक्षा विभाग

1. शिक्षा।

2. सुधारालय, बोर्स्टल संस्थाएं और इसी तरह की अन्य संस्थाएं तथा उनमें रखे गये व्यक्ति, इन संस्थाओं के उपयोग के लिये अन्य राज्यों के साथ व्यवस्था।

3. केवल सरकारी उपभोगार्थ पुस्तकालयों से भिन्न पुस्तकालय, संग्रहालय और ऐसी ही अन्य संस्थाएं।

4. शिक्षा विभाग में और सुधारालय, संग्रहालय तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं में सेवा करने वाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

5. आदिवासी जातियों, पिछड़े मुसलमानों और अनुसूचित जातियों के छात्रावास भवनों को छोड़कर, शिक्षा विभाग के और सुधारालय, संग्रहालय तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

6. पुस्तकालय और विज्ञान संस्थाएं।

7. शैक्षिक प्रयोजनों के लिये न्यास और पूर्ति अग्रस्व।

8. वाणिज्य-पोत के लिये शिक्षा और प्रशिक्षण का उपबंध तथा राज्यों और अन्य एजेन्सियों द्वारा उपबंधित ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।

9. वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण का उपबंध सभी राज्यों और अन्य एजेन्सियों द्वारा बंधित ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।

10. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित और संसद द्वारा विधितः राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित शैक्षिक या वैज्ञानिक संस्था।

11. विशेष अध्ययन या शोध की अभिवृद्धि।

12. उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, शोध संस्थाओं तथा विज्ञान संस्थाओं में स्तरों का समन्वय और अवधारण।

13. प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख, तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष जिन्हें संसद में विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हो तथा अन्य पुरातात्विक स्थल और अवशेष।

14. राष्ट्रीय कैडेट कोर और सहायक कैडेट कोर।
15. बिहार राज्य पाठ्य प्रकाशन निगम का नियंत्रण।
16. खेलकूद, कला एवं संस्कृति।
17. युवा कल्याण।
18. विद्यालयों में मध्याह्न भोजन।

(13) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।
(क) विज्ञान शाखा।

1. राज्य की आवश्यकताओं पर आधारित विज्ञान एवं शिल्प-विज्ञान (प्रोद्योगिकी) के नये क्षेत्रों का विकास और इसके लिये नीति निरूपण।

2. विभिन्न संस्थानों एवं विभागों में संबंधित विज्ञान और शिल्प-विज्ञान (प्रोद्योगिकी) के क्षेत्रों में समन्वयन।

3. वैज्ञानिक एवं प्राद्योगिकी सर्वेक्षण, शोध, रूपांकन एवं विकास कार्यों को हाथ में लेना अथवा इनके लिये अन्य संस्थानों, व्यक्तियों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध करना।

4. राज्य के शोध संस्थानों एवं वैज्ञानिक समाज, निकाय आदि को विज्ञान एवं शिल्प-विज्ञान पर आधारित कार्य के लिये अनुदान देना।

5. विश्वविद्यालय एवं अन्यान्य संस्थाओं में प्रायोगिक शोध कार्य का सम्पोषण एवं समन्वय।

6. राज्य की ज्ञात आवश्यकताओं पर समाश्रित वैज्ञानिक तथा प्रावैधिकी योजनाएं तैयार करना यथा—

(i) भू-सर्वेक्षण, बाढ़ पूर्वानुमान तथा भू-गर्भीय अन्वेषण के लिये उपग्रह प्रावैधिकी का उपयोग,
(ii) हवाई फोटोग्राफी तथा भूमि, जल, खनिज एवं वन साधनों के विकास हेतु इसका विश्लेषण,
(iii) सरकारी काम-काज में कम्प्यूटरों का व्यावहारिक प्रयोग,
(iv) सौर शक्ति का व्यावहारिक उपयोग, तथा
इसी तरह की नवीन वैज्ञानिक एवं प्राद्योगिक प्रयोग संबंधी योजनाएं।

(ख) तकनीकी शिक्षा शाखा।

1. तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण।

2. तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन गठित बोर्डों से संबंधित कार्य तथा स्टेट बोर्ड ऑफ टेकनिकल एडुकेशन।

3. तकनीकी शिक्षा विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों पर नियंत्रण।

4. तकनीकी शिक्षा विभाग के दखल में स्थित सभी वनों का प्रशासनिक प्रभार।

(14) उद्योग विभाग।

1. उद्योग जिसमें वृहत, मध्यम, लघु, कुटीर और ग्राम-उद्योग भी शामिल हैं तथा औद्योगिक शोध।

2. बिहार राज्य उद्योग विकास निगम, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम, बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम, बिहार राज्य हाथ करघा, बिजली करघा तथा हस्त शिल्प विकास निगम, बिहार राज्य निर्यात निगम, बिहार राज्य साख एवं निवेश निगम, बिहार राज्य रासायनिक एवं भेषजीय निगम, बिहार राज्य वस्त्र निगम, बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिक्स निगम का नियंत्रण। साथ ही, भारत सरकार के कम्पनियों या प्राइवेट कम्पनियों से संबंधित ऐसा कार्य जिसमें राज्य सरकार का हित अन्तर्वलित हो।

3. लोहा और इस्पात।

4. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार।

5. औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों के साथ सम्पर्क।

6. उद्योग विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

7. उद्योग विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(15) ईख विभाग।

1. ईख अनुसंधान और विकास।

2. ईख सहकारिता।

3. ईख आपूर्ति, खरीद एवं वितरण का विनियमन।

4. ईख सेस एवं ईख कमिशन का निर्धारण।

5. चीनी कारखानों पर नियंत्रण।

6. बिहार राज्य चीनी निगम का नियंत्रण।

7. चीनी।खांडसारी उद्योगों से संबंधित अन्य कार्य।

8. ईख विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

9. ईख विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(16) खान एवं भूतत्व विभाग।

1. भूतत्व संबंधी सर्वेक्षण, जिसमें वेधन कार्य (ड्रीलिंग) शामिल है।

2. पूर्वेक्षण (प्रास्पेक्टिंग) लाईसेंसों और खनिज पट्टों की मंजूरी तथा उनका नवीकरण।

3. सरकारी क्षेत्र के माध्यम से खनिज विकास।

4. खानों का विनियमन और खनिज समनुदान नियमावली (मिनरल कन्सेशन रूल्स) का प्रचालन।

5. बिहार अभ्रक अधिनियम (बिहार माइका एक्ट) का प्रचालन।

6. वन क्षेत्रों सहित समूचे राज्य के लघु खनिजों का प्रबंधन।

7. खनिज तेल, परमाणु-खनिज आदि के विकास से संबंधित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रगत उपक्रमों से सम्पर्क।

टिप्पणी—(*i*) भू-अर्जन राजस्व विभाग का विषय है और यह निर्णय किया गया है कि खान और भूतत्व के नियंत्रण के बावजूद राजस्व विभाग भू-अर्जन (खान) अधिनियम, 1885 का प्रचालन करता रहेगा। राजस्व विभाग का भू-अर्जन शाखा, खनन के निमित्त खनिज भूमि के अर्जन से संबंधित सभी विषयों पर खान और भूतत्व विभाग से परामर्श करेगी।

(ii) वन क्षेत्रों में खनन के लिये पट्टा और लाईसेन्स देने के पहले वन विभाग से परामर्श कर लिया जाए।

8. बिहार राज्य खनिज विकास निगम का नियंत्रण।

9. खान एवं भूतत्व विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

10. खान एवं भूतत्व विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(17) वन विभाग।

1. वन।
2. जंगली पक्षियों और जंगली जानवरों का परिरक्षण।
3. वन विकास निगम का नियंत्रण।
4. जैविक तथा वनस्पति उद्यान।
5. वन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।
6. वन विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(18) कृषि विभाग।

1. कृषि जिसमें कृषि शिक्षा, विस्तार और शोध भी शामिल है, मारक कीटों से रक्षा और पौधा रोगों का निवारण।

2. कोयला, सीमेण्ट, लोहा-इस्पात के कृषि कोटे का वितरण।

3. तौल (बाट) और माप।

4. कृषि वस्तुओं का क्रय-विक्रय (शोध और बाजार आसूचना सहित) एवं भंडागार।

5. कृषि उद्योग विकास निगम, बीज निगम एवं कृषि विपणन पर्षद पर प्रशासकीय नियंत्रण।

6. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय।

7. कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकार, लघु कृषक विकास एजेन्सी, सीमान्त कृषक एवं कृषक मजदूर विकास एजेन्सी, सुखाडोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एवं जनजातिय विकास एजेन्सी।

8. भूमि संरक्षण तथा भूमि विकास।

9. कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

10. कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(19) सहकारिता विभाग।

1. सहकारी बैंक (को-आपरेटिव बैंक सहित), सहकारी समितियां, सहकारी क्रय-विक्रय समितियां और संघ, सहकारी विधायन (प्रोसेसिंग) समितियां और औद्योगिक सहकारी संस्थायें।

2. बीमा निगम, भूमि विकास बैंक एवं सहकारिता क्रय-विक्रय संघ का नियंत्रण।

3. सहकारिता विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण ।
4. सहकारिता विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार ।

(20) पशु एवं मत्स्य पालन विभाग ।

1. पशुपालन जिसमें पशुधन का परिरक्षण, रक्षण और सुधार तथा पशु रोगों का निवारण, पशु चिकित्सा, प्रशिक्षण और व्यवसाय (प्रैक्टिस) भी शामिल है ।
2. पशु निर्दयता निवारण समितियां ।
3. मत्स्यपालन ।
4. मांस, अंडा मत्स्य इत्यादि का विपणन ।
5. गव्य विकास एवं गव्य निगम का नियंत्रण ।
6. पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण ।
7. पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक सुधार ।

(21) विद्युत् विभाग ।

1. विद्युत् शक्ति का उत्पादन, संचार तथा आपूर्त्ति ।
2. वैद्युतिक संयत्रों का निरीक्षण ।
3. बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड का नियंत्रण ।
4. विद्युत् विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण ।
5. विद्युत विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(22) लघु सिंचाई विभाग ।

1. निजी (प्राईवेट) सिंचाई ।
2. सरकारी स्वामित्व में लघु सिंचाई कार्य ।
3. भूगर्भ जल अनुसंधान ।
4. बिहार पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम एवं बिहार जल विकास निगम का नियंत्रण ।
5. लघु सिंचाई विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण ।
6. लघु सिंचाई विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार ।

(23) सिंचाई विभाग ।

1. नहरें, जल-निकास, जल संचय, निर्माणों के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वासन, निर्माण खर्च की वसूली तथा निम्नलिखित परियोजनाओं से सम्बद्ध निर्माणों का प्रबंधन, संरचना, अनुरक्षण और प्रशासनिक प्रभार:—

(i) कोशी परियोजना, बाढ़ नियंत्रण ।
(ii) गंडक परियोजना, त्रिवेणी नहरों सहित ।
(iii) सोन बराज परियोजना ।

(iv) तेनुघाट बांध परियोजना ।
(v) अन्य वृहत् नदी घाटी परियोजना जो इस विभाग को समय-समय पर सौंपी जाए ।

2. नहर और उद्वह सिंचाई, जल-निकास, बाढ़ नियंत्रण, तटबंध, नगर-रक्षा तटबंध, जल-संचय ।

3. अन्तर्देशीय जलमार्ग (राष्ट्रीय जलमार्ग सहित), उनका अनुरक्षण और स्वच्छता संरक्षण ।

4. मद-1 में उल्लिखित निर्माणों के मात्र प्रबंधन के लिये अपेक्षित भवनों का निर्माण, अनुरक्षण और प्रशासनिक प्रभार ।

5. बिहार निर्माण निगम का नियंत्रण ।

6. सिंचाई विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण ।

(24) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्य (पेय जलापूर्ति, मल प्रणालिका, जल निकास और अन्यान्य स्वच्छता योजनाएं) ।

2. बिहार राज्य जल प्रदूषण (नियंत्रण एवं निवारण) पर्षद एवं बिहार जलापूर्ति एवं मलोद्वाहन पर्षद का नियंत्रण ।

3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण ।

4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार ।

(25) लोक कार्य विभाग ।

1. राज्य में निहित या उसके कब्जे में स्थित निर्माण, भूमि और भवन ।
2. प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक (जो संघ के न हों), तथा सरकार द्वारा स्वाधिकृत स्मारक संरचनाएं भी ।
3. पटना स्थित न्यू केपिटल एरिया में तथा अन्यत्र खाली स्थलों का निवटाव जो सरकारी सम्पत्ति हो ।

टिप्पणी—इस मद में "निवटाव" शब्द से तात्पर्य है लोक कार्य विभाग के प्रशासनिक प्रभार के अधीन नीचे की मद 6 में उल्लिखित निर्माणों के प्रयोजनार्थ जमीन का आवंटन ।

4. निम्नलिखित भवनों का प्रशासनिक प्रभार—

(क) पटना स्थित न्यू कैपिटल एरिया के निवास,

(ख) रांची स्थित ऐसे निवास जो मंत्रियों, सचिवालय के राजपत्रित पदाधिकारियों तथा मुख्य वन संरक्षक सहित विभागाध्यक्षों और उनके कार्यालयों से सम्बद्ध राजपत्रित पदाधिकारियों के वास के लिये हों। साथ ही, रांची स्थित ऐसे अन्य सारे निवास भी जो भारतीय सिविल सेवा (आई० सी० एस०) या भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस०) के पदाधिकारियों अथवा इन सेवाओं के संवर्गगत पदों को मौलिक या स्थानापन्न रूप से धारण करने वाले पदाधिकारियों के वास के लिये हों,

(ग) (i) राज्य सरकार और विभागाध्यक्षों के साथ रांची जाने वाले, और

(ii) मुख्य वन-संरक्षक के कार्यालय से संलग्न।

अनुसचिवीय कर्मचारियों के वास से अभिप्रेत है रांची स्थित लिपिक क्वार्टर।

(घ) पटना और रांची स्थित सचिवालय भवनों और पटना स्थित विधान-सभा तथा विधान परिषद भवनों तथा बिहार लोक सेवा आयोग के भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

टिप्पणी—पटना न्यू कैपिटल एरिया का क्षेत्र लोक कार्य विभागों के ज्ञाप संख्या 9577-85-ए०आर०, तारीख 7 जून 1927 के साथ सभी सरकारी विभागों को भेजे गये नक्शे में निर्धारित है। इसमें बुद्ध मार्ग, छज्जूबाग और बांकीपुर गांधी मैदान के इर्द-गिर्द के निवास भी शामिल हैं।

5. उपर्युक्त मद 4(क), 4(ख) में उल्लिखित भवनों का आवंटन।

6. निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत लोक कार्य:—

(क) जिन राजकीय भवनों की संरचना और अनुरक्षण का काम राज्यपाल ने ऐसे भवनों का उपयोग या अपेक्षा करने वाले विभागों को सौंप दिया हो, उन भवनों को छोड़कर, राजकीय भवनों की संरचना और अनुरक्षण।

(ख) सड़कें, पुल, घाट, सुरंगें, रज्जूमार्ग, स्टेप (कौजवे) और अन्य संचार साधन।

(ग) राष्ट्र पथ।

7. सरकारी भवनों में बिजली लगाना।

8. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का नियंत्रण।

9. सरकारी भवनों में स्वच्छता कार्य एवं पेय जलापूर्ति की व्यवस्था।

10. लोक कार्य विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(26) परिवहन विभाग।

1. मोटर परिवहन नियंत्रण।
2. मोटर गाड़ी करारोपण।
3. यंत्र चालित जलयानों के संबंध में संसद् द्वारा विधितः राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषित अन्तर्देशीय जल मार्गों से जहाजरानी और नौ-परिवहन।

टिप्पणी—इसमें अन्तर्देशीय जल परिवहन, अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम का प्रचालन और नदी स्वच्छता संरक्षण भी शामिल है।

4. अन्तर्देशीय जल मार्गों से जहाजरानी और नौ-परिवहन।
5. रेलवे एवं लघु रेलवे।
6. वायुयान, वायु-परिवहन, हवाई अड्डों का उपबंध, अनुरक्षण और संघटन, हवाई यातायात का विनियमन और संघटन।
7. बिहार-उड्डयन संस्था।
8. घाट (फेरीज)।
9. पेट्रोल, पेट्रोल उत्पाद एवं टायर पर राशन व्यवस्था, पर घरेलू प्रयोजनों के लिये व्यवहृत किरासन तेल राशनिंग रहित।
10. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का नियंत्रण।
11. परिवहन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।
12. परिवहन विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(27) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग।

1. प्रेस, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:—
   (क) प्रेस के साथ सम्पर्क।
   (ख) प्रेस नोट समाचार, लेख आदि प्रेस को जारी करना।
   (ग) राज्य में प्रकाशित होने वाले हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू के समाचार-पत्रों के टोन एवं टेम्पर की समीक्षा।
   (घ) बिहार में स्थित हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू के समाचार-पत्रों के नीति पर पाक्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुतिकरण।
   (ङ) प्रेस प्रतिनिधियों को विभिन्न क्षेत्रों का परिदर्शन कराना।
   (च) प्रेस सम्मेलन का आयोजन।
   (छ) प्रेस संवाददाताओं को मान्यता प्रदान करना एवं प्रेस प्रमाण-पत्र जारी करना।

2. सभी सरकारी सजावटों तथा वर्गीकृत विज्ञापनों को समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराना एवं सरकारी ऐजेन्सियों का केन्द्रीकृत रूप में भुगतान।

3. राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं विकास कार्यक्रमों पर विभिन्न भाषाओं में पर्चे, पोस्टर, होर्डिंग, पुस्तिका आदि प्रकाशन से संबंधित प्रचार साहित्य।

4. राज्य में तथा राज्य के बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रचार।

5. भिन्न-भिन्न भाषाओं, यथा पटना से अंग्रेजी।हिन्दी।उर्दू में प्रकाशित साप्ताहिक, यथा बिहार इन्फारमेशन।बिहार समाचार।बिहार की खबरें, देवघर से संथाली में प्रकाशित साप्ताहिक होड़ संवाद तथा रांची से हिन्दी में प्रकाशित साप्ताहिक आदिवासी पत्रिकाओं द्वारा बिहार के सांस्कृतिक, आर्थिक विकास के बारे में प्रचार।

6. प्रदर्शनी—

(क) राज्य में तथा राज्य के बाहर प्रदर्शनी लगाना।

(ख) दूसरे राज्यों, केन्द्रीय सरकार, अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेना।

7. न्यूजरील, डोक्युमेन्ट्री तथा फीचर फिल्म का निर्माण तथा उसके माध्यम से राज्य में हुए प्रगति, विकास तथा संस्कृति का प्रचार।

8. रेडियो-आकाशवाणी से सम्पर्क—देहाती रेडियो गोष्ठी—रेडियो के माध्यम से प्रचार।

9. टेलीविजन के माध्यम से प्रचार।

10. क्षेत्रीय प्रचार कार्य।

11. सूचना केन्द्र।

12. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

13. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

28. पर्यटन विभाग।

1. पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक, ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों का विकास।

2. बिहार में होटल उद्योग का विकास।

3. देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिये आवास, परिवहन, मार्गदर्शन एवं जलपाहार (कटरिंग) की व्यवस्था।

4. पर्यटन साहित्य का प्रकाशन।

5. पर्यटन व्यवस्था के लिये स्थापित भिन्न-भिन्न संस्थाओं, जैसे पर्यटक सूचना केन्द्र, युवा-आवास, टूरिस्ट बंगला तथा राजगीर एरियल रोपवे का प्रबंधन।

6. पर्यटन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

7. पर्यटन विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

29. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

1. भारत सर्वेक्षण (सर्वे आफ इंडिया), वनस्पति तथा प्राणी सर्वेक्षण।

2. संघ विषयों से सम्बद्ध गजेटियर और सांख्यिकीय वृत्त।

3. चर्च संबंधी कार्य, जिनमें यूरोपीय कब्रिस्तान भी शामिल है।

4. जनगणना।

5. राज्य विषयों से सम्बद्ध गजेटियर और सांख्यिकी वृत्त।

6. निम्न शीर्षकों के अधीन यथावर्णित भू-राजस्व प्रशासन :—

(क) भू-राजस्व का निर्धारण और तहसील,
(ख) भू-अभिलेखों का अनुरक्षण, राजस्व प्रयोजनों के लिये सर्वेक्षण, अधिकार अभिलेखों (खतियान),
(ग) भू-धृति विषयक विधियां, भू-स्वामी (जमींदार) और काश्तकार के बीच संबंध; लगान की तहसील,
(घ) प्रतिपालक अधिकरण (कोर्ट आफ वार्ड्स) अवभारग्रस्त तथा कुर्क सम्पदाएं (इस्टेट);
(ङ) उपनिवेशन और भू-राजस्व का परकीकरण,
(च) राज्य प्रयोजनों के लिये भारत सरकार में निहित या भारत सरकार के कब्जे में स्थित भूमि का निबटाव,
(छ) कृषि-भूमि का अंतरण, परकीकरण तथा उपागम, और
(ज) सरकारी सम्पदाओं (इस्टेटों) का प्रबंध।

टिप्पणी—इसमें राजस्व पदाधिकारियों का क्षेत्राधिकार, सम्पदाओं, इस्टेटों का विभाजन, सेस (जिसमें तटबंध सेस भी शामिल है) की तहसील और निर्धारण-भू-निबंधन, बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम (बिहार ऐंड उड़ीसा पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी ऐक्ट), 1914 (बि० उ० अधिनियम 4, 1914) का प्रचालन और संथाल परगना विनियमावली के अधीन आयुक्त द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध अर्जियां भी शामिल हैं।

7. अनिवार्य भू-अर्जन, भू-अर्जन (खान) अधिनियम [लैंड एक्वीजीशन (माईन्स) ऐक्ट], 1885 (18, 1885)।

8. निखात निधि।

9. भाषाएं और भाषा सर्वेक्षण।

10. मानववंश-विज्ञान (एथनोलाजी) और मानववंश वृत्त (एथनोग्राफी)।

11. दफन और कब्रिस्तान, दाह-संस्कार और श्मशान।

12. राजस्व बोर्ड, प्रमंडल आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पदाधिकारियों के लिपिक वर्ग और भृत्य वर्ग का नियंत्रण।

13. भारतीय सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार सिविल सेवा के पदाधिकारियों का नियंत्रण जहांतक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सौंपा गया है, वहां तक छोड़कर भू-अभिलेख और सर्वेक्षण निर्देशक के अधीन नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

14. पटना के न्यू कैपिटल और रांची स्थित भवनों को छोड़कर, राजस्व बोर्ड, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पदाधिकारियों के दखल में स्थित निवास भिन्न भवनों और सरकारी डाक-बंगलों का प्रशासनिक प्रभार।

15. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन मद 4 में उल्लिखित को छोड़कर राजस्व पदाधिकारियों के न्यू कैपिटल, पटना और रांची स्थित निवासों से भिन्न निवासों का प्रशासनिक प्रभार।

16. भारत सरकार, अन्य राज्य सरकारों तथा जनता को इंडियन लॉ रिपोर्ट्स सीरीज से भिन्न सरकारी प्रकाशनों की आपूर्ति का विनियमन।

17. परिसदनों (सरकिट हाउसों) का प्रशासनिक प्रभार।

18. राजस्व बोर्ड, प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों और अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यालयों में विभागीय उपयोग के पुस्तकालय।

19. ग्रामीण क्षेत्रों में लावारिस मवेशियों की हड्डी का संचयन और उसकी बन्दोबस्ती।

20. भूमि सुधार।

21. लोक भूमि अधिक्रमण अधिनियम का प्रशासन।

22. सर्टिफिकेट।

23. बाजार और मेले।

24. स्वर्ण नियंत्रण आदेश का प्रशासन।

25. साहूकार और साहूकारी।

26. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 एवं इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट, 1932 का प्रशासन।

27. विलेखों और लेख्यों (दस्तावेजों) का निबंधन।

28. जन्म, मृत्यु और विवाह निबंधन अधिनियम (बर्थ्स, डेथ्स ऐंड मैरिज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट), 1886 (सं० 6, 1886), बंगाल मुसलमान विवाह और तलाक निबंधन अधिनियम (बंगाल मुहम्मडन मैरेजेज ऐंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट), 1876 (बंगाल अधिनियम 1, 1876), काजी अधिनियम (काजीज ऐक्ट), 1880 (सं० 12, 1880), पारसी विवाह और तलाक अधिनियम (पारसी मैरेज एण्ड डाईवोर्स ऐक्ट), 1936 (सं० 3, 1936), भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम (इंडियन क्रिश्चियन मैरेज ऐक्ट), 1872 (सं० 15, 1872) एवं विशेष विवाह अधिनियम का प्रचालन।

29. निबंधन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

30. निबंधन विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

30. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

1. मदिरा और स्वापक औषधियां, अर्थात् मदिरा, अफीम तथा अन्य स्वापक औषधियों का उत्पादन, विनिर्माण, पास रखना, परिवहन, क्रय और विक्रय।

2. राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित ऐसी ही वस्तुओं पर उन्हीं या कम दरों पर प्रतिशुल्क :—

(क) मानव उपयोग के लिये अलकोहल मद्य।

(ख) अफीम, भारतीय भांग और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक, अस्वापक औषधियां।

(ग) अलकोहल या इस प्रविष्टि की उप-कंडिका (ख) में उल्लिखित किसी अन्य पदार्थ से युक्त औषधि एवं प्रसाधन सामग्री।

3. छोआ नियंत्रण।

4. शक्ति अलकोहल।

5. मद्य निषेध।

6. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

7. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

31. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

1. मौसम विज्ञान।
2. फसल तथा वर्षापात आंकड़े।
3. फसल रिपोर्ट एवं पूर्वानुमान।
4. भूमि सुधार ऋण तथा कृषि ऋण (तकावी)।
5. अकाल साहाय्य।
6. बाढ़ तथा कटाव साहाय्य।
7. संकट ऋण।
8. भारत सरकार द्वारा परिचालित पुनर्वास कार्य।
9. कटाव एवं अन्यान्य कारणों से उत्पन्न पुनर्वास की व्यवस्था।
10. शारीरिक श्रम योजना।
11. काम के लिये भोजन।
12. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।
13. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

32. श्रम एवं नियोजन विभाग।

1. डाक और तार, टेलिफोन और बेतार (राज्य पुलिस बेतार को छोड़कर)।
2. डाकघर-बचत बैंक।
3. खान और कोयला-क्षेत्र में श्रम और सुरक्षा का विनियमन।
4. संघ से उत्प्रवासन (एमिग्रेशन) और संघ में आप्रवासन (इमिग्रेशन तथा अन्तर-राज्य प्रवासन (माइग्रेशन)।
5. श्रम मजूरी।
6. औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, (इन्डस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स ऐक्ट) के अधीन औद्योगिक सांख्यिकी (आंकड़े)।
7. वृद्धावस्था पेंशन योजना।
8. धुंआ अवदूषण (नुइसेन्स)।
9. श्रमिक संघ।
10. हड़ताल तथा औद्योगिक और श्रमिक विवाद।
11. श्रम कल्याण, जिसमें काम की शर्तें, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व कामगार, क्षतिपूर्त्ति, असमर्थता पेंशन तथा प्रसूति-सुविधा भी शामिल है।
12. वाष्पित्र (ब्वायलर)।
13. कर्मचारी-राज्य-बीमा।
14. आपात-शक्ति निदेशालय।
15. शिल्पी और तकनीशन प्रशिक्षण तथा श्रमिकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण।
16. नियोजित विकलांगों का कल्याण।

17. सचिवालय उपाहार गृह।
18. श्रम विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।
19. श्रम विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

33. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग।

1. खाद्य वस्तुएं।
2. वस्त्र।
3. अन्य प्रकीर्ण आपूर्त्तियां।

4. परमावश्यक आपूर्त्ति (अस्थायी शक्ति) अधिनियम [एसेंशियल सप्लाइज (टेम्पोररी पावर्स) ऐक्ट], 1946 (24, 1946) बिहार परमावश्यक वस्तु नियंत्रण (अस्थायी शक्ति) अधिनियम [बिहार एसेंशियल आर्टिकिल्स कंट्रोल (टैम्परेरी पावर्स) ऐक्ट], 1947 (बिहार अधिनियम 4, 1947) तथा बिहार भवन (पट्टा, भाड़ा और बेदखली) नियंत्रण अधिनियम [बिहार बिल्डिंग (लीज, रेंट एंड एविक्शन) कण्ट्रोल ऐक्ट], 1947 (बिहार अधिनियम 3, 1947) का प्रचालन।

5. राशन व्यवस्था (पेट्रोल तथा पेट्रोल उत्पाद एवं टायर रेशनिंग रहित पर घरेलू प्रयोजनों के लिये व्यवहृत किरासन तेल रेशनिंग सहित)।

6. मूल्य-नियंत्रण, उपाप्ति और वितरण।
7. रेलवे परिवहन और अग्रताएं।
8. सीमा शुल्क।
9. एकत्व (पेटेंट), आविष्कार और डिजाइन।
10. व्यापार-चिह्न (ट्रेड मार्क) तथा पण्य चिह्न।

11. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम (सेन्ट्रल एक्साइज एंड साल्ट ऐक्ट) । 1944 (सं० 1, 1944) का प्रचालन।

12. राज्य के भीतर व्यापार तथा वाणिज्य।
13. सामग्री।
14. धनकुट्टी उद्योग (विनियम) अधिनियम (राइस मिलिंग इण्डस्ट्री रेगुलेशन) ऐक्ट, 1958 (सं० 21, 1958) का प्रचालन।
15. पेट्रोलियम (पेट्रोल और पेट्रोल-उत्पाद पर रेशनिंग रहित पर घरेलू प्रयोजनों के लिये व्यवहृत किरासन तेल-रेशनिंग सहित)।
16. पेट्रोलियम अधिनियम तथा नियमावली का प्रचालन।
17. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम का नियंत्रण।
18. भारतीय खाद्य निगम के साथ सम्पर्क।
19. खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।
20. खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

34. विधि विभाग

(1) न्याय शाखा

1. दंड-विधि (फौजदारी कानून) और दंड-प्रक्रिया।

2. सिविल प्रक्रिया, जिसमें परिसीमा अधिनियम (ला ऑफ लिमिटेशन) भी शामिल है।

3. साक्ष्य और शपथ, विधि, लोक अधिनियमों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों की मान्यता।

4. विवाह और तलाक, बच्चे और नाबालिग, दत्तक-ग्रहण।

5. वसीयत, निर्वसीयता और उत्तराधिकार---कृषि भूमि-विषयक को छोड़कर।

6. कृषि-भूमि से भिन्न सम्पत्ति का अन्तरण।

7. धार्मिक और पूर्त धर्मस्वों से तथा शिक्षा-निमित्तक न्यासों से भिन्न, न्यास, और न्यासी।

8. संविदाएं, एजेन्सी, वहन-संविदा तथा अन्य विशेष प्रकार की संविदाएं, किन्तु इनमें कृषि-भूमि संबंधी संविदाएं शामिल नहीं है।

9. मध्यस्थता।

10. दिवालियापन और शोधनक्षमता, महाप्रशासक और सरकारी न्यासी।

11. न्यायकरण, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर, राज्य के भीतर सभी न्यायालयों का गठन, संघटन, क्षेत्राधिकार और शक्तियां, राज्य के उक्त न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें। "लगान और राजस्व न्यायालयों" की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, सभी न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें। इस विषय के अन्तर्गत निम्न बातें भी हैं :—

(क) अधिनियम—उनका प्रचालन और विस्तार—न्याय प्रयोजनों के लिये।

(ख) निम्नतर न्यायालयों के दंडादेशों के विरुद्ध अपील।

(ग) दीवानी (सिविल) न्यायालय, भवन और स्थापनाएं।

(घ) न्यायालय-भाषा।

(ङ) न्यायिक प्रपत्र।

(च) महाधिवक्ता (एडवोकेट जेनरल) और सरकार के अन्य विधि-पदाधिकारियों की नियुक्ति।

(छ) निर्वसीयत सम्पत्ति।

(ज) न्याय-पदाधिकारियों का क्षेत्राधिकार।

(झ) विधि-पुस्तकें, विधि रिपोर्ट, कालक्रमिक—सारणियां।

(ञ) वैधिक कार्यों का संचालन।

(ट) अपराधी पागल।

(ठ) राजनैतिक कैदियों से भिन्न सभी कैदियों के दया-प्रार्थना-पत्र तथा उनके दंडादेश की (दंड प्रक्रिया-संहिता, 1973 की धारा 432 के अधीन) छूट या स्थगन।

(ड) आजीवन कारावास दंड प्राप्त बन्दियों का छुटकारा।

(ढ) यूरोपीय वंश के व्यक्तियों को प्रदेय प्रोबेट और प्रशासन-पत्र।

12. राज्य विधि-रिपोर्ट तथा सरकार और जनता की इन रिपोर्टों की आपूर्त्ति।

13. आबकारामर्दी।

14. (क) उच्च न्यायालय, और,

(ख) जिला तथा सत्र न्यायाधीश के कार्यालयों या उनके अधीनस्थ कार्यालयों में नियोजित सभी लिपिक और भृत्य वर्गों का नियंत्रण।

15. भारत संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और 3 में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में विधि-विरुद्ध अपराध।

16. उच्च न्यायालय-भवन और दीवानी (सिविल) न्यायालयों के सभीभवनों का प्रशासनिक प्रभार।

17. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारतीय सिविल प्रशासन संवर्ग के पदाधिकारियों से भिन्न न्याय-पदाधिकारियों के सभी निवासों का प्रशासनिक प्रभार।

18. सिविल और फौजदारी (अपराधिक) मामलों में, सरकारी खर्च पर सरकारी सेवकों को प्रतिरक्षा की मंजूरी।

19. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के भ्रष्टाचार संबंधी धाराओं को छोड़कर दंड प्रक्रिया की धारा 197 के अधीन सरकारी सेवकों के अभियोजन की मंजूरी देना।

20. परकाम्य लिखित अधिनियम (निगोशियेबुल इन्स्ट्रूमेंट ऐक्ट), 1881 की धारा 138 के अधीन लेख्य प्रमाणक (नोटरों)की नियुक्ति।

21. प्रत्यर्पण।

22. शिक्षा संस्था संबंधी धार्मिक और पूर्त्त अग्रस्वों से भिन्न धार्मिक और पूर्त्त अग्रस्व।

23. गरीबों की वैधिक सहायता।

2. विधान शाखा

1. प्रशासी विभागों द्वारा निकाले जाने वाले परिनियत नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों आदि अथवा उप-विधियों (उप-नियमों) के प्रारूपण में अन्य विभागों को सलाह देना।

2. प्रशासी विभाग के अनुदेशानुसार सभी सरकारी विधेयकों, भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेशों तथा भारत-संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग 'ख' की कंडिका की उप-कंडिका 2 के अधीन बनाए गए, विनियमों का प्रारूपण।

3. राज्य विधान-मंडल में पुनःस्थापन के पूर्व सभी सरकारी विधेयकों का मुद्रण और उनकी मुद्रित प्रतियों का वितरण।

4. विधेयकों पर प्रवर-समितियों की रिपोर्ट तैयार करना, समितियों की सिफारिशों के अनुसार विधेयकों को संशोधित करना तथा उन रिपोर्टों और यथा-संशोधित विधेयकों को छपाना।

5. सरकारी या गैर-सरकारी सभी विधेयकों के मामले में यह सलाह देना कि उनपर राज्यपाल या राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश आवश्यक है या नहीं तथा यह भी कि राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना अपेक्षित है या नहीं।

6. राज्य विधान-मंडल में पुनःस्थापित या राज्य विधान-मंडल-कार्य-नियमावली के अधीन प्रकाशित सभी विधेयकों की प्रतियां, सभी विधेयकों पर प्रवर-समितियों

का रिपोर्टों की प्रतियां तथा आवश्यकतानुसार विधान-मंडल की कार्यवाही के उद्धरणों के साथ राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित और राज्यपाल द्वारा अनुमत सभी विधेयकों की प्रतियां विधि मंत्रालय (भारत सरकार) को भेजना।

7. राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति का, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों का और राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विनियमों का प्रकाशन।

8. वर्त्तमान विधि के संहितायन और समेकन के लिये विधेयकों का और औपचारिक विधान का आरम्भण और प्रारूपण।

9. अधिनियमों, संहिताओं तथा परिनियत नियमों एवं आदेशों के संकलनों का पुनरीक्षण :—

(क) राज्यपाल द्वारा अनुमत सभी विधेयकों, प्रख्यापित सभी अध्यादेशों तथा बनाये गये सभी विनियमों का मुद्रण और ऐसे विधान के परिणाम दिखाने वाली वार्षिक सूचियां तैयार करना,

(ख) सभी संशोधनों के साथ राज्य अधिनियमों के रूपभेदित संस्करण तैयार करना और छपाना।

(ग) बिहार-संहिता का पुनरीक्षण।

(घ) राज्य परिनियत नियमों और आदेशों की वार्षिक सूचियां तैयार करना तथा स्थानीय परिनियत नियमों और आदेशों के संकलनों का पुनरीक्षण।

10. सम्बद्ध प्रशासी विभाग के परामर्श से संसद के विधेयकों और अधिनियमों, इन विधेयकों पर प्रवर समितियों की रिपोर्टों, तथा राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों का स्थानीय सरकारी गजट में पुनः प्रकाशन।

11. सभी सरकारी विधेयकों, यथा संशोधित विधेयकों सहित प्रवर-समितियों की रिपोर्टों और अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद की जांच और छपाई तथा उनको मुद्रित प्रतियों का वितरण।

द्वितीय अनुसूची ।

[नियम 6 (ii) देखें] ।

	मंत्री ।	आवंटित विभागों/विषयों का नाम ।
	1	2
1	श्री कर्पूरी ठाकुर, मुख्य मंत्री ..	मंत्रिमंडल सचिवालय (जन-सम्पर्क एवं पर्यटन रहित), विद्युत् विभाग, गृह विभाग (कारा-रहित), कार्मिक विभाग, योजना विभाग, एवं राज भाषा विभाग ।
2	श्री कैलाशपति मिश्र ..	वित्त विभाग ।
3	श्री जागेश्वर मंडल ..	सहकारिता विभाग ।
4	श्री कपिलदेव सिंह ..	कृषि एवं संसदीय कार्य विभाग ।
5	श्री ठाकुर प्रसाद ..	उद्योग विभाग (ईख सहित) ।
6	श्री अनूपलाल यादव ..	लोक-निर्माण विभाग ।
7	श्रीमती सुमित्रा देवी ..	नागरिक विकास एवं आवास विभाग ।
8	श्री सच्चिदानन्द सिंह ..	सिंचाई विभाग ।
9	श्री जाबीर हुसैन ..	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
10	श्री कामेश्वर पासवान ..	कल्याण विभाग (जन-जाति कल्याण सहित) ।
11	श्री ललित उरांव ..	वन विभाग ।
12	श्री जगबन्धु अधिकारी ..	ग्रामीण विकास विभाग ।
13	श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल ..	परिवहन विभाग ।
14	श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा ..	राजस्व एवं भूमि-सुधार विभाग (उत्पाद रहित) ।
15	श्री महावीर प्रसाद ..	विधि विभाग एवं खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।
16	श्री पूरनचन्द ..	खनन् एवं भूतत्व विभाग ।
17	श्री गुलाम सरवर ..	माध्यमिक शिक्षा तथा वक्फ ।
18	श्री मोहन राम ..	पर्यटन विभाग एवं धार्मिक न्यास ।
19	श्री दिगम्बर ठाकुर ..	प्राथमिक शिक्षा ।
20	श्री महादेव मरण्डी ..	सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग ।
21	श्री ठाकुर प्रसाद सिंह ..	उच्चतर शिक्षा, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग एवं लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।
22	श्री रामचन्द्र सिंह यादव ..	पशु एवं मत्स्य पालन विभाग ।
23	श्री वैद्यनाथ मेहता ..	गृह (कारा) एवं उत्पाद विभाग ।
24	श्री शमशेर जंग बहादुर सिंह ..	श्रम एवं नियोजन विभाग ।

क्रमांक ।	राज्य मंत्रिगण ।	आवंटित विभागों/विषयों का नाम ।
1	2	3
1	श्री सियाराम ठाकुर..	सहकारिता विभाग ।
2	श्री मंजय लाल ..	कार्मिक एवं परिवहन विभाग ।
3	श्री गुनेश्वर प्रसाद सिंह ..	उच्चतर शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ।
4	श्री जनार्दन यादव ..	उद्योग विभाग ।
5	श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु ..	सिंचाई विभाग ।
6	श्री शिवनन्दन पासवान ..	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (उत्पाद रहित) ।
7	श्रीमती ललिता राज्य लक्ष्मी ..	वित्त विभाग ।
8	श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ..	विद्युत् एवं धार्मिक न्यास ।
9	श्री जोरावर राम ..	गृह (कारा) एवं उत्पाद विभाग ।

तृतीय अनुसूची ।

[नियम 10, 15, 16 और 32 (क) (ii) देखें ।]

1. लोकायुक्त को नियुक्त करने या हटाने या उनके वेतन एवं अन्य सेवा शर्त्तों आदि को अवधारित करने या उसमें हेर-फेर करने का प्रस्ताव ।

2 । महाधिवक्ता को नियुक्त करने या हटाने , अथवा उनके पारिश्रमिक अवधारित करने या उसमें हेर-फेर करने का प्रस्ताव ।

3 । विधान-मंडल के किसी एक या दोनों सदनों के आह्वान और अवसायन, विधान-सभा के विघटन के प्रस्ताव ।

4 । जिन पदों पर नियुक्ति सरकार करती है उनके सम्बन्ध में सेवा नियम बनाने या उनमें संशोधन करने का प्रस्ताव ।

5 । राज्य विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के अधीन निर्योग्य हो गया है या नहीं इस सम्बन्ध में उठे प्रश्नों पर निर्णय और ऐसे प्रश्नों को निर्वाचन-आयोग की राय के लिये भेजने के प्रस्ताव, अनुच्छेद 193 के अधीन शोध्य अर्थ-दंड को वसूलने या उसकी वसूली छोड़ देने का प्रस्ताव ।

6 । विधान-मंडल के सामने रखे जाने वाले वार्षिक वित्त विवरण तथा अनुपूरक अतिरिक्त या अधिकाई अनुदानों की मांग ।

7। अनुच्छेद 208 के खंड (3) के अधीन बनाए जाने वाले नियमों से सम्बन्धित प्रस्ताव।

8। अनुच्छेद 234 के अधीन नियम बनाने या संशोधित करने का प्रस्ताव।

9। अनुच्छेद 237 के अधीन अधिसूचना निकालने का प्रस्ताव।

10। राज्य-लोक-सेवा-आयोग के सदस्य को नियुक्त करने का प्रस्ताव और ऐसा प्रस्ताव जिसमें उक्त सदस्य को बरखास्त करने, हटाने या निलम्बित करने की कार्रवाई अन्तर्वलित हो।

11। अनुच्छेद 318 के अधीन या अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परन्तुक के अधीन विनियम बनाने या संशोधित करने का प्रस्ताव।

12। अपने कार्य के सम्बन्ध में राज्य-लोक-सेवा-आयोग की रिपोर्ट [अनुच्छेद 323 (2)] और उसके सम्बन्ध में कोई प्रस्तावित कार्रवाई।

13। विधान का प्रस्ताव, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश निकालना भी शामिल है।

14। ऐसे मामले जिनमें यह अवधारित करना हो कि राज्य विधान-मंडल में प्रस्तावित किये जाने वाले किसी संकल्प या विधेयक पर सरकार का रुख क्या रहे।

15। कोई नया कर लगाने अथवा किसी वर्त्तमान कर या भू-राजस्व या पनवट का निर्धारण-पद्धति या तारतम्य में कोई हेर-फेर करने अथवा राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति थवा राज्य सरकार द्वारा कोई गारंटी दी जाने का प्रस्ताव।

वि[illegible] [illegible]र प्रभाव डालने वाला कोई ऐसा प्रस्ताव जिस पर वित्त-मंत्री की सम्मति नहीं [illegible]

17। नियोग संबंधी कोई ऐसा प्रस्ताव जिसपर वित्त-मंत्री की सम्मति अपेक्षित हो किन्तु जो रोक रखी गई हो।

18। राज्य-वित्त की वार्षिक अंकेक्षण-समीक्षा तथा लोक-लेखा समिति की रिपोर्ट।

19। नीति या चलन में महत्वपूर्ण परिवर्त्तन का प्रस्ताव।

20। राज्य की प्रशासन पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्त्तन लाने वाले प्रस्तावित आदेश।

21। न्याय विभाग (विधि परामर्शी शाखा) द्वारा दी गई सलाह के विरुद्ध अभियोजन चलाने या वापस लेने का प्रस्ताव।

22। ऐसे लोक-पद के सृजन या उत्सादन का प्रस्ताव, जिसपर नियुक्ति सरकार करती है और जिसकी अधिकतम उपलब्धि 1,325 रु० (एक हजार तीन सौ पच्चीस रुपये) से अधिक है।

टिप्पणी—विभाग, प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से और वित्त विभाग की सहमति से ऐसे अस्थायी पदों की अवधि बढ़ा सकेगा, जो दो वर्ष से अधिक समय से मौजूद रहे हों।

23। किसी अखिल भारतीय सेवा या राज्य-सेवा के सदस्यों की सेवा-शर्तों में, अथवा जिस सेवा में या पद पर नियुक्ति राज्य-सरकार करती हो उस सेवा में या पद पर भरती की रीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्त्तन करने का प्रस्ताव।

24। सरकार द्वारा स्वतः अथवा राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित संकल्प के अनुसार जांच समितियों की नियुक्ति का प्रस्ताव तथा ऐसी समितियों की रिपोर्ट।

25। ऐसे मामले जिन्हें मुख्य मंत्री ने परिषद् के सामने लाने की अपेक्षा की हो।

26। ऐसे मामले जिनका प्रभाव अनुसूचित क्षेत्रों के सुशासन पर पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो।

27। ऐसी सिविल सेवाओं या पदों पर जिनका अधिकतम वेतन 1,325 रु० (एक हजार तीन सौ पच्चीस रुपये) से अधिक हो, सीधी भर्ती या प्रोन्नति के जरिये सरकार द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव, परन्तु सरकार द्वारा की गयी नियुक्ति या प्रोन्नति का हर मामला जिसमें लोक-सेवा आयोग की अनुशंसा की प्रत्याशा या अपेक्षा प्रस्तावित हो, परिषद् के समक्ष रखा जायगा चाहे पद का अधिकतम वेतन जो भी हो।

28। ऐसे किसी पदाधिकारी का बर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति संबंधी प्रस्ताव जिसकी नियुक्ति सरकार ने की हो और जिसके द्वारा धारित पद का अधिकतम वेतन 840 रु० (आठ सौ चालीस रुपये) से अधिक हो।

29। (1) आरक्षी अधीक्षकों, जिला पदाधिकारियों, आरक्षी उप-महानिरीक्षकों, विभागाध्यक्षों, विभागीय सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों तथा उसके समकक्ष पदों एवं प्रमुख सचिवों के पदों पर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन का प्रस्ताव तथा इन कोटियों के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव।

(2) ऐसे पदाधिकारी जिनके पद का अधिकतम वेतनमान 1,680 रु० (एक हजार छः सौ अस्सी रुपये) से अधिक हो और जो उपरोक्त कोटि में नहीं हो, उनके स्थानान्तरण, पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति के संबंध में परिषद् की समिति अन्तिम निर्णय लिया करेगी।

नोट—मंत्री-परिषद् की समिति के समक्ष ऐसे प्रस्ताव विभिन्न विभागों के लिये गठित एवं राजकीय संकल्प द्वारा अधिसूचित स्थापना समितियों के माध्यम से उपस्थापित किये जायेंगे।

30। अनुच्छेद 171 (3) (ङ) तथा 333 के अधीन विधान परिषद् एवं विधान-सभा के सदस्यों को मनोनीत करने के प्रस्ताव।

31। ऐसे पदाधिकारियों के विशेष वेतन स्वीकृत करने का प्रस्ताव जो 1,325 (एक हजार तीन सौ पच्चीस रुपये) से अधिक ऊपरी सीमा वाले वेतनमान में हों।

32। राज्य की आकस्मिकता निधि से 15,00,000 (पन्द्रह लाख) रुपये से अधिक अग्रिम के लिये प्राधिकृत करने का प्रस्ताव।

33। भूमि या अन्य सरकारी संपत्ति के पक्कीकरण, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, या अनुदान या ठेके या बन्दोबस्त या पट्टे, अथवा राजस्व-अभ्यर्पण अथवा खनिज या वन संबंधी अधिकार या पनबिजली के अधिकार, समनुदान (कन्सेशन) या अनुदान अथवा ऐसे समनुदान के सम्बन्ध में किसी सुखाचार (ईजमेंट) या विशेषाधिकार अथवा लाइसेंस या परमिट के प्रदान से संबंधित ऐसे सभी मामले जिनमें सरकार मूल आदेश निकालना या किसी खास ढंग से कार्रवाई करने के लिए किसी विभागाध्यक्ष या अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्देश देना चाहते हों, बशर्ते कि ऐसा प्रस्तापित आदेश या निदेश परिषद् के पूर्व निर्णय के अनुरूप न हो।

टिप्पणी—यह खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम [माइन्स एँड मिनरल्स (रेगुलेशन एँड डेवलपमेंट) ऐक्ट], 1957 (सं० 67, 1957) और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार खनिजों के लिए, पूर्वेक्षण लाइसेंस के प्रदान पर लागू न होगा।

34। सरकार द्वारा नियुक्त राजपत्रित पदाधिकारियों की सेवावधि की वृद्धि स्वीकृत करने का प्रस्ताव—ऐसा प्रस्ताव वित्त विभाग को दिखाने के बाद परिषद् के सामने रखा जायगा।

35। किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा मांगी गई सेवानिवृत्ति—पूर्व छुट्टी को लोक-सेवा की अत्यावश्यकता को देखते हुए अस्वीकृत करने का प्रस्ताव। ऐसा प्रस्ताव वित्त विभाग को दिखाने के बाद परिषद् के सामने रखा जायगा। लेकिन, यदि स्वयं वित्त विभाग ही ऐसा प्रस्ताव करे तो, परिषद् के सामने रखे जाने के पहले, वह कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को दिखा दिया जायगा।

36। (i) 15 लाख रुपये से अधिक अनावर्त्ती व्यय अथवा 2½ लाख रुपये से अधिक आवर्त्ती व्यय वाली नई योजना स्कीम ;

(ii) 10 लाख रुपये से अधिक अनावर्त्ती व्यय अथवा 2½ लाख रुपये से अधिक आवर्त्ती व्यय वाली चालू योजना स्कीमों का विस्तार ; एवं

(iii) 5 लाख रुपये से अधिक अनावर्त्ती व्यय अथवा 1 लाख रुपये से अधिक आवर्त्ती व्यय वाली गैर योजना स्कीम।

टिप्पणी 1—परिषद् द्वारा पूर्व अनुमोदित प्राक्कलन में अधिक-से-अधिक 10 प्रतिशत की वृद्धि होने पर भी परिषद् का पुनरानुमोदन आवश्यक नहीं होगा।

टिप्पणी 2—विभाग, प्रभारी मंत्री के अनुमोदन और वित्त विभाग की सहमति से ऐसी अस्थायी गैर-योजना स्कीमों की अवधि बढ़ा सकेगा जो दो वर्षों से अधिक समय से चालू हो।

*टिप्पणी 3—विभाग, प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से मगर वित्त/योजना विभाग की सहमति लिए बिना, अस्थायी योजना स्कीमों की अवधि वार्षिक आधार पर बढ़ सकेगा; परन्तु पंचम वर्ष में वित्त/योजना विभाग की सहमति अनिवार्य होगी।

टिप्पणी 4—लघु कृषक एवं विकास योजना, सीमान्त कृषक एवं कृषक मजदूर योजना, सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम जैसे विशेष कृषि विकास योजनाओं के सम्बन्ध में केवल वे ही योजनाएं परिषद् के समक्ष रखी जायेंगी जिनमें अनावर्त्तक व्यय 25 लाख रुपये या अधिक है या जिनमें आवर्त्तक व्यय 5 लाख रुपये या अधिक है।

37। निम्न विषयक प्रस्ताव—

(i) उच्चतर अध्ययन या प्रशिक्षण-कोर्स के लिये विदेश भेजे जाने वाले छात्रों या सरकारी कर्मचारियों को ऋण या छात्रवृत्ति देना ;

(ii) विदेश के किसी विशिष्ट सम्मेलन में भाग लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञा देना ; और

(iii) ऐसे छात्रों को ऋण या आर्थिक सहायता देना जिन्होंने स्वत: विदेश के लिए प्रस्थान किया हो, किन्तु बाद में ऋण या आर्थिक सहायता के लिए सरकार से याचना की हो।

38। राज्य विधान-मंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण।

39। राज्य सरकार के किसी ऐसे विनिश्चय को जो पूर्व में किसी मंत्री या मंत्रि-परिषद् ने या राज्यपाल के परामर्शी या परामर्शियों ने किसी बैठक में किया हो, विखंडित, रूपान्तरित या वातिल करने का प्रस्ताव।

40। एसे प्रस्ताव जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित किसी नीति के या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये किसी आदेश के प्रवर्त्तन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

41। ऐसे मामले जहां किसी सरकारी उपक्रमों में पद सृजन तथा उसपर की जानेवाली नियुक्ति में राज्यपाल की स्वीकृति अपेक्षित हो।

42। विधान-मंडल के सामने रखा जाने वाला सम्पादन आय-व्ययक।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० ए० रामसुब्रह्मण्यम्,
मुख्य सचिव।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 30—लाईनो—460—300—म० ना० सहाय